CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of growing labour unrest caused by loss of job, violation of labour laws, closure of units, privatisation of PSUs, etc. - *contd.*

श्री आर.एस. गवई (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष माहेदय, मज़दूरों की नौकरी चल जाने, श्रम कानूनों के उल्लंघन, इकाइयों के बंद होने, निजीकरण आदि के कारण श्रामिकों में बढ़ रहे असंतोष पर इस बात समय कलिंग अटेंशन के माध्यम से चर्चा हो रही है। आज प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की नीति के कारण मजदूरों की संख्या में कमी होती जा रही है।

उपसभाध्यक्ष माहेदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह गांरटी दी गई थी कि हम इम्प्लॉयमेंट जेनरेट करेंगें और कहा गया था कि वी प्रोवाइड दि जॉब इन टयून आफ करोड़, लेकिन यह विसंगति है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एक बात कहता है जबकि हमारी नीति तथा करनी उससे अलग होती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह लक्ष्यभेदी सूचना है, इसके बारे मे एक कमेटी का तो निरीक्षण है और उन्होने कई मिसाले देकर और इसे "स्वेच्छा की जगह जबरन सेवा निवृत्ति योजना" कहकर इसका सम्बोधन किया है। कमेटी के उस सम्बोधन या निरीक्षण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :-

" संसद की एक स्थायी समिति की राय में विनिवेश हुए उपक्रमों में नए प्रबंधन द्वारा उत्पन्न परिस्थिति **में** के कारण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जबरन सेवानिवृत्ति योजना में बदलती जा रही है। वित्त संबंधी **स्थायी** समिति द्वारा विनिवेश मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित प्रतिवेदन में समिति ने विनिवेश किए गए सार्वजानिक उपक्रमों के कर्मचारियों की दुर्दशा पर गहरा दुख जताया है। समिति ने विनिवेश के बाद बहुचर्चित बाल्को कर्मचारियों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नए प्रबंधन ने ऐसी परिस्थिति और शर्ते बना दीं कि कर्मचारियों के पास स्वैछिक सेवानिवृत्ति योजना अनिच्छा के बावजूद स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। समिति के सभापति एन0 जनार्दन रेड्डी द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल्को कर्मचारियों को परेशान करने और उन्हें वीआरएस स्वीकार करने के लिए मजबूर करने हेतु उनका दूर-दराज के इलाको में स्थानान्तरण किया गया। समिति के मुताबिक इस मामले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बजाय स्वेच्छा के जबरन सेवानिवृत्ति दिलाने की योजना बनती जा रही है और सरकार सिर्फ मूक दर्शक की भूमिका निभा रही है।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में सरकार से विनिवेश किए गए उपक्रमों में कर्मचारियों की शिकायतों का उपयुक्त निदान करने और जरूरी कदम

उठाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि सरकार बार-बार कहती रही है कि किसी भी उपक्रम का विनिवेश करते समय उसके कर्मचारियों के हितों की पुरी सुरक्षा की जाएगी और किसी की छंटनी नहीं होगी, लेकिन इस मामले में बाल्कों का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्मचारियों को ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया गया जहां पहले से ही अधिक कर्मचारी थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माडर्न फूड में भी कर्मचारियों का अंसतोष अभी तक बरकरार है"।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस कमेटी का निरीक्षण जैसे का जैसा मैने आपके सामने पढ़ा। यह कोई अकेले बाल्को का उदाहरण नहीं है, यह तो जहां-जहां डिसइन्वेस्टमेंट पालिसी शुरू है, जहां वीआरएस की योजना लागू है, वहां-वहां यह हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले संतूर होटल का मामला सामने आया था। उसके बारे में मेरे पास ऐसी शिकायते भी आई है कि कई लोगों को तो जान से मार देने की धमकी भी दी गई है। वहां हालत यह हुई कि वहां के कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।इसलिए हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा मैं कर्मचारियों पर हो रहे जुल्म,अत्याचार और जबरन वी आ एस दिलाए जाने की ओर श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इनके लिए समूचित बंदोबस्त करने की आवश्यकता है इस विनती के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वह बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण है। महोदय, यह केवल लोगों की नौकरी चले जाने का सवाल नहीं है। यह केवल छंटनी का सवाल नहीं है। यह केवल लेबर लॉज के उल्लंघन का सवाल नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था से जुडा हुआ सवाल है। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आज 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और हर साल इसमें 70-80 लाख नए लोग जुड़ जाते है। इस समस्या का निदान कैसे होगा, यह एक गंभीर सवाल है। अभी जो लोग काम पर लगे हुए है, हमारे सामने उनकी छंटनी का भी सवाल है।

महोदय, जीवन राय जी ने और खूंटिया जी ने बहुत सी बातें यहां रखी हैं। मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। असंगठित क्षेत्र के बारे में भी उन्होने बहुत सी बातें कही हैं। लेकिन जहां हम असंगठित क्षेत्र को, संगठित क्षेत्र जैसी सुविधांए देने की बात सोच रहें वहां संगद्धित क्षेत्र उनमें काम करने वालों कों कानून जो सुविधांए उनमे क प्राप्त हैं, क्या उनका पालन हो रहा है? मैं जानता हूं कि अनेकानेक ऐसी फैक्ट्रीज है जो वर्कर्स का प्रॉविडेंट फंड जमा हीं नहीं करती हैं क्योकि उन्हे अपना हिस्सा भी देना पड़ता है। इसलिए हम फंड जमा ही नहीं हो रहा है और इसे कोई देखने वाला नहीं है। कितनी भी शिकयत कर दीजिए लेकिन कोई इस बात को देखने वाला नहीं है कि वर्कर्स का प्रॉविडेंट फाड जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है।

महोदय, प्रॉविडेंट फंड पर ब्याज की दर इन्होने 12 प्रतिशत से साढ़े नौ प्रतिशत कर दी, यह तो गलत बात है कि लेकिन ये इस बात को भी नहीं देख रहे हैं कि प्रॉविडेंट फंड जमा हो रहा हैं या नही हो रहा है। इस बात को देखने वाला कोई नहीं है।

महोदय, हमारे देश में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है और हमारे बहुत से साथियों के बीच में भी यह भ्रम है कि यह जो विनिवेश की व्यवस्था चल रही है और जो वैश्वीकरण के नाते चल रही है, सब लोग अच्छी तरह से जानते है कि इस वैश्वीकरण के नाते चल रही है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वैश्विकरण का जो असर पड़ने वाला है, वह संगठित क्षेत्र पर पड़ने वाला है, बडी-बड़ी फैक्ट्रियों पर पड़ने वाला है। कुछ लोगों में ऐसा भ्रम है लेकिन यह गलत है। इसका सबसे खतरानाक असर असर लघु उघोगों पर पड़ रहा है। हमारे देश में लघु उघोगों की कितनी आवश्यकता है, इस बात को सभी लोग कहते है चाहे कोई उस पर अमल करें या न करे। सरकार के लोग भी इस बात को कहते हैं।

महोदय, हमारे यहां लघु उघोगों की 31 लाख इकाइंया है। माननीय मंत्री जी पता लगाएं कि पिछले 3-4 साल के दौरान कितनी लघु उघोग की इकाइयां बंद हो गई हैं, कितने बंद होने के कगार पर है और कितनी बीमारी है? ये सरकार की नीति के कारण बीमार है। ये वैश्वीकरण की नीति के कारण बीमार है। वैश्वीकरण की नीति के कारण लघु उघोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे यहां लघु उघोग किसी भी दृष्टि से संगठित क्षेत्र की जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनसे कम उपयोगी काम कर रहे हों, ऐसा नहीं है। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या अगर दूर हो सकती है तो केवल लघु उघोगों के बल पर हो सकती है। अगर हमारी जमीन पर लोगो के बोझ को हटाना है, निर्भरता को हटाना है, कम करना है तो हमें अपने देश में लघु उघोगों का जाल फैलाना होगा। 31 लाख से कई गुना ले जानी होगी तब जाकर हमारे देश में बेरोगारी की समस्या दूर हो सकती है और ये लघु उघोग इतना बड़ा काम रोजगार के काम में कर सकते हैं। अगर आप 1990-2000 के दशक के आंकड़े उठाकर देखे तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों ने कोई रोजगार सृजित नही किया, वहां हमारे लघु उघोगों ने 46.31 लाख नए रोजगार सृजित किए और आज भी दो करोड़ लोग रोजगार पा रहे हैं हमारी लघु इंकाइयों से लघु उघोगों से। आज 5 लाख करोड़ से ज्यादा का उत्पादन इन लघु उघोगों में हो रहा है। हमारे देश का जो टोटल निर्यात है उसका 35 प्रतिशत लघु उघोगों से आता है। लेकिन लघु उघोगों की उपेक्षा हो रही है, वैश्वीकरण के नाते ही नही सरकार की नीति के चलते भी हो रही है। सरकार ने क्या किया है? जो आरक्षित वस्तुएं हैं जो लगभग 800 थी उनमें निंरतर कमी होती चली जा रही है। लघु उघोगों में से, आरक्षण की सूची घटती चली जा रही है और बड़े-बड़े उघोग-धंधे उनक कामो में लगते चले जा रहे है और उसके ऊपर कोढ़ में खाज यह है कि जो विदेशी कम्पनियां है वे उस माल से हमारे देश के बाजार को पाटती जा रही है ।श्रीमान लघु इंकाइयां बीमारी हैं, बंद होती चली जा रही है। तो सरकार इस बारे में सोचे। अंसगठित क्षेत्र के बारे में आप शोर मचाते हैं, बड़े-बड़े दावे करते है कि हम असंगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, अंसगठित क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लघु उघोगों को और असंगठित क्षेत्रो को सुविधा देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ कदम उठाने पडेंगें। उन कदमो मे सबसे जरूरी यह होगा कि आप लघु उघोगों को बचाइए, आपके लघु उघोग बीमार हो रहे है, लघु उघोगों का निर्यात घट रहा है और उसके बाजार कम होते चले जा रहे हैं। विपणन की समस्याएं उनके सामने पैदा हो गई हैं क्योकि आपने ऐसी नीति निर्धारित कर दी है कि सारा मार विदेंशो से तो आ ही रहा है और बड़े-बड़े उघोगों को भी आप छूट दे रहे है क्योकिं आरक्षण की सूची को घटाते चले जा रहे है। श्रीमन् मुझे इतना ही निवेदन करना था। बाकी जो अन्य बातें हमारे साथियों ने, जीवन राय ने तथा खूंटिया जी ने रखी हैं मैं उनसे अपने को समबद्ध करता हूं।

SHRI ASHWANI KUMAR (Punjab): Thank you Mr. Vice-chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on a subject of vital importance. I am, indeed, most grateful to my esteemed colleagues who preceded me in this debate. They have a characteristic passion and total credibility to espouse the cause of labour and, in a way, this is a cause that the nation shares transcending partisan politics. But, of course, there are focuses. And, I would like to bring to bear a focus on this House about which I have held a conviction for a long time. Sir, eventually, when we debate labour and issues related to labour, we are, in fact, drawing the contours of our Socialist Republic. Our Republic is a Socialist, Secular and Sovereign Republic. And, when we talk of a Socialist Republic, we necessarily talk of a harmonious partnership between capital and labour. I do not want to pitch this debate as pro-labour and anti-reform or *vice-versa.* I do not see any contradiction in a reformist economy and in the welfare of the 'labour or the working-class. I, therefore, would like, with the leave of the House, to pitch the debate on a higher ideological focus. What is it that we are really debating? In my respectful submission, what we are, today, stating is that you cannot move the nation forward without taking into consideration the fundamental interest of forty crores of our working people. There has to be a commonality of interests, and not a conflict between capital and labour. We cannot be engaged, indefinitely, in a politics of argument, in a violent politics of argument. Politics, in democracy, must be a conversation; it must be a dialogue. The Prime Minister claimed from the ramparts of the Red Fort to make available one crore new jobs. But, today, we have a situation where employment potential and growth has, in fact, decelerated. I quote the figures from the Second National Commission on Labour. As against 1.55 per cent annual growth in the employment, in the 80s, today we have a growth of 1.05 per cent. We are repeatedly told that all is well because new jobs are going to be created in the private sector. May I respectfully remind the Minister for Labour - whose heart, I know, is with the labour - that the total employment potential in the private sector, so far as job creation, manufacturing, utilities are concerned, is only 2.5 per cent? Yes, we know disinvestment has led to decline in jobs. Yes, we know shortage of raw materials has led to decline in jobs. Yes, we know the slackening of demand has led to decline in jobs. Yes, we know the contraction of economy has led to decline in jobs. But that is besides the point I readily confess that all these situations have occurred because of all these acts of omissions and commissions, because of lop-sided economic policies. But, look at the consequences. You have created a perennial

source of agitational politics in this country. Forty crores of our working people are going to be alienated or dissatisfied or aggrieved for reason 'a' or reason 'b'. And, you cannot have stability in this country. If you cannot have stability in this country, you cannot have growth in this country. If you do not have growth in this country, you cannot have employment in this country. I would also like to state that India has had a glorious track record, as far as espousing the interests of Indian labour is concerned. We are signatories to all international conventions - be it Convention on Employment, be it Convention on the ILA Declaration on Principle and Right to Work, be it article 41 and 42 of our Constitution, which mandates upon the State Governments and the Central Government a duty - of course, within the constraints of its resources - to make available to every citizen, every able-bodied citizen, right to work. But, are we, Sir? Are we levelling up with that measure, which the Constitution mandates that we do? The respectful answer is: 'No; we are not.' But I am more agonised by the fact that our democracy is going to be under seizure; our society is going to be under seizure. VRS is not enough. It is not enough to give Rs. 2 lakh to an able-bodied man and force him to go home at the age of 40 and sit down. Every able-bodied citizen in a democracy, who is entitled to live a life of dignity, must have the sense of contributing to the Gross Domestic Product of this country; must have a sense of belonging in the future of the country, which an ordinary man, a labour, a working man can only do by contributing his labour to the productive forces of this country. You are constitutionally mandated and charged by the collective will of this nation, speaking through the Parliament, speaking through the Constitution, speaking through the words of the Father of the Nation, who said, "Swaraj of my dreams will not be complete until a tear from every eye is wiped away." Are we in a position, Sir, to do that without, at least, a modicum of subsistence to a man who wants to live a life of dignity? Many years ago, somebody said, and I read when I was a student that if you control the subsistence of man, you control his will; if you control the will of a person, you control his feeling; if you control the feeling of a person and deny him his freedom, you deny him his dignity. Therefore, Sir, the issue is of much wider theosophical, ideological, emotional concern. The Congress Party has, for years, found its anchor in espousing the cause of the working class. We laid the foundation of the labour movement, in this country. We recognize the concept of 'trusteeship', given to us by the Father of the Nation. And, what was that concept of 'trusteeship'? The concept of trusteeship responded on an equal partnership between capital and labour,

where society would hold interests, it has generated by benign partnership -a partnership between capital and labour, working in harmony, working not in an agonistic posture. I would, therefore, Sir, through you, like to call the attention of the hon. Minister, let us really not promise the moon to the people of. India. They don't expect you to promise them the moon. But please deliver what you promise to them. If you don't deliver what you promise to them, then, you consciously commit a fraud on our people, and that's a fraud on democracy. As a custodian of India's democracy, this august House must repel and must, in no unclear words, no unambiguous words, censure this Government for failure of the Prime Minister and of his Government to offer one crore jobs, which he promised from the ramparts of the Red Fort. You are now four years into governance. Does this not lead to questions of whether we are efficiently governing, whether we are governing consistent with the principles enshrined in the Constitution? It does raise certain questions. My respectful submission is, and correct me if I am wrong, that this Government has failed on this count.

I would now like to put a more fundamental question. Are the various components of the Indian society going to be perennially in conflict with each other? Are we going to be a nation at peace with itself, or a nation whose components and constituents are constantly at war with itself? We don't want to create this hiatus. Mr. Vice Chairman, Sir, through you, I would only like to restate that we don't want a feeling of alienation amongst the working class to go. My esteemed friend talked about the Supreme Court directive that the minimum wage must be Rs. 125/- per day. That is the barest, minimum subsistence level. Now, the argument is, India's competitive advantage rests on cheap labour. Sir, I am sorry to say, it can never be our competitive advantage. Our competitive advantage must be in harnessing the human resource potential of this country. And we are not doing this because we are not giving them the adequate means of livelihood. It is wrong, it is disrespectful, it is disgusting for us, as a nation, to say that our competitive advantage rests because we give low wages to our work force. No, Sir, I am unable to accept that contention. First and foremost, we must secure the dignity of the human beings in this country. Therefore, and thereby, optimally utilize the huge human resource potential of this country. If other countries are able to do so, I don't see any reason why we can't, consistent with the efficient use of technology, consistent with the efficient allocation of resources in this country and also consistent with the dignity of our working class, do so. I think we can do so. It is up to

the genius of the people to effectively utilize their will; a political will, to put into share an economy that will be resilient and that would ensure a basic minimum modicum of employment to all able-bodied people.

Sir, I would be failing in my duty, if I were not to draw the attention of the Members of this House to the plight of the disabled people, and to the gender bias in employment. I have always put this question to the hon. Minister. Have we really been true to the spirit of our Constitution? Have we really been true to the spirit of our conscience of our Republic, permeated by the lofty ideals and ethos of our founding fathers? Day-in-and-day-out, we quote our founding fathers. Day-in-and-day-out, we draw inspiration from them. But, somewhere down the line, when we are talking of economic reforms, we feel as if economic reforms will be derailed if we compromise with the dignity of our working class. No, Sir. The Congress Party started the economic reforms process in 1980's, and carried it on till 1991. Even the World Bank and the people of this country at large paid rich tributes to the economics of Dr. Manmohan Singh, who succeeded in initiating reforms, but with a human face. And what was that human face? That human face was not only the social security net. The human face was, while we will give social security net, we would create alternative sources of employment. Whatever we promised, we achieved it. The figures of the Second National Commission on Labour prove that. During our regime, we proved that the workforce and employment opportunities grew in the services sector. I can understand it even if our economy is being triggered by the services sector. Could you please quote certain figures to show that in the private sector and in the services sector, this percentage of growth in the employment potential has taken place? No, you cannot, because there has been no growth in employment. Today, while we meet here, there is an agitation going on outside. On 16th of April, about 10.5 lakh workmen made demonstrations. On 18th of October, the representatives of the trade unions met the hon. Prime Minister, and the hon. Prime Minister assured them that he was personally going to review the impact of reforms of disinvestment, the impact of the inadequacy of raw material resources and the impact of sluggish economic growth on the labour situation, but, till date, we have heard nothing on that score. Then, in agriculture, which is, in fact, the biggest employer, at least, in the unorganized sector, we have seen that the employment elasticity has dropped to near zero, while it has turned negative in the case of mining and manufacturing utilities. So, Sir, on what front, have we really gained? That

is the source of my agony. That is the question I put to myself. Sir, unfortunately, I can't draw solace by empty figures that have been quoted, and I hope, some will be quoted tomorrow, at least, for some comfort factor. But the fact is, we have just been campaigning in Himachal Pradesh. Deep down in the interiors of every hamlet in this country, every village in this country, the only question raised is, employment of our unemployed youth. And, Sir, poverty, impoverishment knows no bounds, whether it is a Scheduled Caste or a *brahmin.* A poor *brahmin* is as bad as a poor Scheduled Caste. If you have really done what you claim to have done, could you please tell us whether the benefit of that developmental work, which you claim to have done, has trickled down to anywhere? Does it get reflected in any employment generation? Sir, it does not, and that is the plain reality.

Mr. Vice-Chairman, Sir, in conclusion, I would only say the fate of this country, the future of this nation, the resilience of our democracy and the deadlock of our social harmony depends on our ability to provide not only a basic modicum of employment — a living wage--but, through that living wage, dignity to our people. That is what democracy is all about. We say that democracy is the best form of the Government. We say so because, in a democracy, our voices cannot be hushed, our freedom cannot be bartered. Because I am so passionately committed to my freedom, and the freedom of all my countrymen — Marx had once said, if you control the subsistence of a man, you control his freedom-- so, I do expect this Government to provide that subsistence wage which will make this freedom meaningful. With these words, I thank you very much.

श्री एस.एस.अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री जीवन राय द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, उसमें **बोलने** के लिए मैं खड़ा हूं। सबसे पहले मेरा सलाम है उन मजदूरों को, उन किसानो को और उन सैनिकों को जिनके कारण भारतवर्ष अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है क्योकि मेरी समझ में किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी उसका मजदूर, उसका किसान और उसका सैनिक होता है। उनकी पूरी-पूरी कमिटमेंट, उनकी पूरी-पूरी सोच और उनके पूरे-पूरे आत्मसमर्पण के अगैर किसी भी राष्ट्र का निर्माण हो सकता। इसीलिए मैं अपने आपको इस देश के मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति और सैनिको के प्रति कृतज्ञ समझता हूं। सवाल उठा कि बेरोजगारी बढ़ गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं, कानूनों में परिवर्तन हुआ है और राष्ट्रीयकरण की जो परंपरा चली थी, उससे वैश्वीकरण की परंपरा आ गई है। जो मजदूर अपनी दो जून को रोटी कमाता था, जो कामगार अपनी दो जून की रोटी कमाता था,आज वह बेरोजगारी है, बेघर है और बेपनाह है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सदन राष्ट्र का सर्वोच्च सदन है। यहां सिर्फ ऐसे मुद्दे लाकर रखने से फायदा नही है कि यह कुछ हो रहा है, वह कुछ हो रहा है। इसके साथ-साथ इस पर आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की भी जरूरत है कि यह क्यों हो रहा है? किसलिए हो रहा है? यह क्यों नहीं होना चाहिए? इसे कैसे रोका जा सकता है? जब हम आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने के लिए खड़े होगे तो पाएंगे कि एक राष्ट्र के लाखों की संख्या में, करोड़ो की संख्या में कामगार जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपने जीवनयापन के लिए मेहनत करके, मशक्कत करके कमाते थे वे रातो रात बेघर, बेरोजगार हो गए। इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है। उस लंबे इतिहास की तरफ जाएं तो कुछ पाएंगे। मैं सदन के लिए उद्धत करना चाहूंगा कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जब फर्स्ट अप्रैल, 1951 में लागू हुआ उस वक्त पब्लिक सैक्टर में उनतीस करोड की इनवेस्टमेंट थी और पब्लिक सैक्टर सख्या सिर्फ़ पां थी जब फ़स्ट अप्रैल 1969 में चौथा फ़ाइव का प्लान आया उस वक्त पब्लिक में चमें तीन हजार, नो सौ दो करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई थी और पब्लिक सैक्टर की संख्या पिचासी हो गई। मैं फिर से उद्धत करना चाहूंगा कि आज जब छठा फ?ाइव इयर प्लान आया, 31 मार्च,1984 की डेट थी उस वक्त देश में पब्लिक सैक्टर में पैन्तीस हजार, तीन सौ चौरानवे करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। इसकी संख्या बढ़कर दो सौ चौदह हो गई थी। 31 मार्च,1988 को इकत्तर हजार दो सौ निन्यानवे करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। इसकी संख्या भी दो सौ इकतीस हो गई थी। महोदय, अगर पहले फाइव ईयर प्लान से लकर छठे फाइव ईयर प्लान तक के आंकड़े देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये पब्लिक सैक्टर बनाए गए थे। 1951 से लकर 1969 तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़े पर 1969 के बाद इन पब्लिक सैक्टर की संख्या एकदम बढ़ गई। उसमें इन्वेस्टमेंट का अनुपात भी बढ़ा। संख्या भी बढ़ गई। वह पब्लिक सैक्टर ग्राउण्ड से लेकर अर्थात् फाउण्डेशन से लेकर चिमनी तक तैयार नहीं किए गए थे। वे बने बनाए पब्लिक सैक्टर थे जो रोग्रस्त हो गए थे। जो किन्हीं कारणवंश अशांत हो गए थे। जो वातावरण में चल नही पा रहे थे या बहुत लाभ कमा रहे थे। उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण करके बहुत सारी चीजों को साथ लाया गया। साथ-साथ बहुत सारे नए उघोग भी लगाए गए। उघोग लगाने के पिछे मंशा यह थी कि ये पब्लिक सैक्टर सिर्फ लोगो को, बेराजगारों को रोजगार ही न दें बल्कि एक स्वर्णिम भारत का इतिहास भी लिखें। एक नए भारत का निर्माण करें। जीवन राय जी ने अपने वक्तव्य में एक बड़ी बात अच्छीकहीं। ये श्रम आदोलन से जुडे हुए हैं। बहुत तकलीफें झेली है। बहुत आंदोलन किए है। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वे जरा आत्ममंथन भी करें। आज लाखो की तादाद में मजदूर इकट्ठके हुए है। मुझे बड़ा आर्श्चय हुआ कि जब सीटू के जनरल सेक्रेट्री ने 26 तारीख का यह प्रोग्राम एनांउस किया। मैं टी.वी पर देख रहा था। उन्होने भारत के सभी मजदूरों को, मजदूर सगठनो को बुलाया, जिनके साथ उनका झगड़ा है। जिन यूनियनों के साथ झगड़ा है, जिनके साथ बातचीत भी नहीं है, उन संगठनों को भी बुलाया। उन्होने केवल इतना एनाउंस किया कि आज के इस मजदूर आंदोलन में सिर्फ भारतीय मजदूर संघ नहीं होगा। यह एंनाउस खुद किया। पर अगर " सारी दुनियों के मजदूरो, एक हो" का नारा लगा कर मजदूर आंदोलन चलते है तो भारतीय मजदूर संघ जो भारत एक सब से बड़ा मजदूर संगठन है आज वह आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है या आप उसके साथ क्यों नहीं खड़े है? मजदूरों की बात वे भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। पर कहीं एसी सोच आ गई है कि नहीं, इसका झंडा अलग है और मेरा झंडा अलग है। ....(व्यवधान)..

SHRI JIB6N ROY: They were pressurised by the Government. *...(Interruptions)...* There is information that they are still with us. *...(Interruptions)...*

SHRI S.S. AHLUWALIA: No. I have myself seen the Press Conference of CITU, General Secretary. *...(Interruptions)...* I do not believe my ears, but I believe my eye's. *...(Interruptions)...*

महोदय, रातों-रात यह परंपरा नही बिगड़ी, रातों-रात यह सारा परिवर्तन नहीं आया। जहां लाखों लोग काम करते थे और वे कारखाने बंद हो गए हों एसी बात नहीं है। अब एक हैं बड़े कारखाने, एक हैं मझौले कारखाने, एक है केन्द्र सरकार द्वारा चलाए गए कारखाने, एक है राज्य सरकार द्वारा चलाए गए कारखाने और एक हैं स्माल स्केल इंडस्ट्री। स्माल स्केल इंडिस्ट्री तो एज ए ऑग्जिलरी यूनिट और एज ए एंसिलरी यूनिट सर्वाइव कर सकती है, नहीं तो उसकी मौत तो निश्चित है, जब बड़ा कारखाना बंद हो जाएगा। बड़े कारखानें बंद होने के मूल कारण क्या हैं? महोदय, आपको याद होगा कि जब 24 जुलाई 1991को स्टेटमेंट ऑन् इंडस्ट्रियल पालिसी रखी गई उस वक्त की व्याख्या यही दी गई कि गवर्नमेंट का काम गवर्न करना हैं, बिजनैस चलाना नहीं है। ....(व्यवधान)..

श्री गया सिहं तब आप उधर थे ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, मैं ने किसी को नहीं टोका है, कृपया मुझे न टोकें। गया सिंह जी मैं आप की ही भाषा बोल रहा हूं। ....(व्यवधान)...महोदय, अभी कल की खबर है कि हावड़ा की फोर्ट ब्लास्टर लिमिटेड कंपनी जिस में 3 हजार मजदूर काम करते थे, उस की बिक्री हुई और उसे एक प्राइवेट कंपनी ने खरीदा। उस के 1500 वर्कर्स की छंटाई कर दी और मंडे का दिन तो उन के यहां वीकली छुट्टी का दिन होता है, ट्यूजडे को लोग देखते हैं कि गेट पर ताला लगा है व नोटिस लगा है कि कृपया अपने घर लौट जाइए जबकि राज्य पास ले ऑफ के, क्लोजर के, लॉक-आउट के, वांइडिग अप के अधिकार हैं। मगर वहां कोई नेता खड़ा होकर बता दे कि फोर्ट ब्लास्टर लिमिटेड कंपनी के 1500 कर्मचारियों के लिए कुछ हुआ, कोई कानूनी कार्यवाही हुई? इसी तरह डनलप इंडिया कंपनी पिछले 5 वर्ष से बंद है। उस का एक मालिक दुबई में रहता था, वह मर गया, और दूसरा मुबंई में रहता है। उस कंपनी के हजारों आदमी बेघर हैं, हालाकिं डनलप इंडिया के राज्य सरकार के पास अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती? ...(व्यवधान)..

3.00 p.m.

महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि यही मजदूर आज हमारे यहां इतने कंपीटिशन में क्वालिटी प्रोड्यूस करने मे हिचकचा जाता है, भटक जाता है। उसके कारण क्या हैं ? उस पर **आपको** को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, लेकिन वही मजदूर बाहर जाकर आलीशान चीज बनाता है जिसे देखकर लोग वाह-वाह करते हैं। आखिर इस सब के कारण क्या हैं ? ...(**व्यवधान**)... और बेकारी के पीछे हम जिस तरह से सिर्फ एक सरकार को दोषी ठहराते हैं या एक सरकार को कहते हैं कि यह दोषी है, यह ठीक नहीं है। पहले हम खुद बताएं कि हम ने कभी एज ए वर्कर, एज ए लीडर ऑफ वर्कर्स ऑर यूनियन कभी वर्क-कल्चर बढाने की कोशिश की है ? महोदय, सब से पहले बंगाल में टाइम एंड मोशन डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट कर के बताया कि पब्लिक सेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार द्वारा चालित संस्थानों में हर जगह ओवर-स्टाफिंग है। जहां दो आदमियों से काम हो सकते है, वहां 12 आदमी लगे हुए हैं। अब जहां 12 **हालकि उन्हे आप रोजगार तो दे रहें लेकिन कास्ट आप प्रोड्क्शन बढ़ रही हैं** आदमी लगे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ रही है तो आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं, मार्केट में कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं तो इंडस्ट्री लॉस में जा रही है और जब इंडस्ट्री लॉस में जा रही है तो उस को तो ग्रेव यार्ड में जाना ही जाना है। कौन सा कुबेर धरती पर उतरकर लॉस में चलते हुए कारखानों को चला सकता है ? महोदय, अगर बारिश न हो पहाडों में बर्फ न गिरे और उन का पानी नदी-नालों में बहकर समुद्र में न मिले तो समुद्र का पानी **भी** सूख जाएगा, यह तो भारत सरकार का कोषागार है। इसलिए मैं बार-बार कहना चाहूंगा कि हम ने उन को स्टॉलिन थ्योरी तो सिखाई, हम ने लेनिन और मार्क्स तो पढाया, पर हम ने उन को भारतीयता की असली धरोहर जिसे देखकर हमें राष्ट्र निर्माण करना है, उस के बारे में क्या सिखाया ? ...(**व्याधान**)...

श्री गया सिंह : अमरीका से सीखा है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, मैं ने किसी को नहीं टोका है, कृपया मुझे न टोकें। गया सिंह जी मैं आप की ही भाषा बोल रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... महोदय, अभी कल की खबर है कि हावडा की फोर्ट ब्लास्टर लिमिटेड कंपनी जिस में 3 हजार मजदूर काम करते थे, उस की बिक्री हुई और उसे एक प्राइवेट कंपनी ने खरीदा। उस के 1500 वर्कर्स की छंटाई कर दी और मंडे का दिन तो उन के यहां वीकली छुट्टी का दिन होता है, ट्यूजडे को लोग देखते हैं कि गेट पर ताला लगा है व नोटिस लगा है कि कृपया अपने घर लौट जाइए जबकि राज्य के पास ले ऑफ के, क्लोजर के, लॉक-आउट के, वाइंडिंग अप के अधिकार हैं। मगर वहां कोई नेता खड़ा होकर बता दे कि फोर्ट ब्लास्टर लिमिटेड कंपनी के 1500 कर्मचारियों के लिए कुछ हुआ, कोई कानूनी कार्यवाही हुई ? इसी तरह डनलप इंडिया कंपनी पिछले 5 वर्ष से बंद है। उस का एक मालिक दुबई में रहता था, वह मर गया और दूसरा मुंबई में रहता है। उस कंपनी के हजारों आदमी बेघर हैं, हालांकि डनलप इंडिया के राज्य सरकार के पास अधिकार हैं, लेकिन राज्य सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती ? ...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): He should not. speak about things which he does not know. I have been representing Dunlop Company; I know what are the issues bothering it. You ask the Finance Minister. The Industry Ministry had sent a letter to the Chief Minister.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I shall ask everybody.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Do you know, under what powers, under which Act. the company can be taken over -- the ID Act *...(Interruption)...*

SHRI S. S. AHLUWALIA : Don't think that you are the champion of labour laws.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : It is not a question of being the champion or some such thing. My only point is, why should he unnecessarily raise issues without knowing them?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : चलिए, आप वाइंडअप करिए, अहलुवालिया जी। ...(व्यवधान)...

SHRI JIBON ROY : Let the Government of India advise the State Government. What advice do you propose to give on the Dunlop Company?

श्री देवदास आपटे (झारखंड) : राज्य सरकार क्या कर सकती है, इसकी चर्चा करनी है क्या? एक इन्स्टान्स है कि कर्मचारियों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आपकी घोषणाबाजी चल रही है। आपने तो कर्मचारियों का नुकसान किया है। ....(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि 24 जुलाई,1991 को जो इंडस्ट्रियल पालिसी शुरू हुई, यह सरकार भी उसी को मानकर चल रही है।जो कुछ पिछले 12 वर्षो में होता रहा और जिस तरह से राष्ट्रीयकरण से प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन से वैश्वीकरण हुआ, इन कारखानों का बंद होना निश्चित था। किन्तु, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का ऐसा कहना है कि जब बेरोजगारी बढ़े तो सड़के बनाना शुरू करो। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : अहलुवालिया जी, आप कन्क्ल्यूड कीजिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, इस देश में स्टील प्लांट लगे, कोल एंड पावर पर काम हुआ, अल्युमिनियम प्लांट लगे, ऑयन मिल लगीं, कुछ नेशनलाइजेशन हुआ, टूरिज्म के

ड्ब्लपमें की बात सोची गई प्रन्तु जिस बेसिक चीज की जरुर्त थी इनफ़ास्ट्क्क्र ड्ब्ल पेमंट की वह नहीं हो सका। उसका कारण क्या है? खूटिंया जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ? मैं इंडस्ट्रियल एरिया डैवलपमेंट अथोरिटी का मिनिस्टर नही था और न ही मुझे पता है। इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथोरिटी के मालिक आप थे। जब यह पालिसी शुरू की गई तो इसके साथ साथ जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत थी कि कहां से रा-मैटेरयिल आएगा, कहां से मजदूर आएंगे, कहां इस रा-मैटेरयिल से फिनिस्ड गुड्स बनेगा और कहां से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच कर सस्ती दर पर लोगों को मिल सकेगा, इसका रास्ता न ढूंढ़ कर फ्रेट इक्वीलाइजेशन की बात की। हमने सबसिडी की बात की और बहुत सारी दूसरी चीज़े अपनाई। आज भारत सरकार ने, खासकर के प्रधानमंत्री महोदय ने दो योजनाएं शुरू की-एक सड़क योजना और दूसरी पानी की योजना। इन दोनो योजनाओं से प्रोब्लम सोल्व होगी यह राष्ट्र सारे विश्व में महाराष्ट्र के नाम पर जाना जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि " मेरा भारत महान" खाली लिख देने से भारत महान हो जाएगा, परन्तु राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और करना तभी पड़ेगा जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक सड़के बनेंगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब हम सारी दुनिया में जाते हैं तो देखते हैं कि सड़क पांच लाइन, सात लाइन, आठ लाइन की है, तो क्या यह भारत में नहीं बन सकतीं? आज 35 मील का रास्ता साढ़े तीन घंटें में हम यहां पार करते हैं, जब कि वहां 35 मील का मतलब है 35 मिनट। समय का बचाव होता है। वहां पांच-पांच सौ मील दूर से लोग काम करने जाते हैं, जबकि हमारे यहां अगर यहां से गुडगांवा जाना हो तो आदमी थक जाता है, नोयड़ा जाना हो तो आदमी थक जाता है और पटना से बेगुसराय जाना हो तो क्या हो जाता है वह आपको मालूम है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इन बेरोजगारों को रोजगार मिलने का रास्ता खुला है कि हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करें। राष्ट्र के निर्माण का काम रूक गया था, हम कहीं न कहीं भटक गए थे। देश आजाद हुआ। देश का आजाद होने के बाद कुछ समय राष्ट्र के निर्माण का काम जारी रहा, लेकिन उसके बाद हम भटक गए दूसरी व्यथाओं में। हम सोचने लगे कि हम क्या बनें, दक्षिणपंथी बनें, वामपंथी बनें, मध्यपंथी बनें, क्या बनें।

श्री नीलोत्पल बसु : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह तो हमेशा सरकार में रहे हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालियाः सर, यह तरीका नही हैं अगर इनको सच्चाई चुभ रही है तो दूसरी बात है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : प्लीज़, इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैं जहां भी हूं जहां भी रहूंगा, अपनी प्रतिस्पर्धा से जगह लूंगा, आपके किराए से कुछ नहीं लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : अहलुवालिया जी,आप कृपया अपने विषय पर बोलिए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मेरी बात का जवाब दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो चूप रहिए। जो तर्क मैं दे रहा हूं अगर उस तर्क का जवाब हैं तो बताइए।

अभी कुछ दिन पहले अखबारों में छपा है कि बिहार में कारपोरेशन्स के कर्मचारियों की तनख्वाह कई सालों से बंद हैं, लोग स्टारवेशन में मर रहे हैं। उस बेरोजगारी का कारण कौन है? हर राज्य में-मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में,पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में, राज्य द्वारा चलित जितने भी पब्लिक सैक्टर थे, लोगों ने बेच दिए। क्यों बेच दिए? क्योंकि लॉस में चल रहे थे। यहां तक कि जो स्टेट फार्म्स थे, जो एग्रो इंडस्ट्री चलती थी, वह भी बेच दी। क्यों बेची? लॉस में थी। इसलिए इन चीजों पर आज एक रास्ता निकालने की जरूरत हैं और उसमें समर्थन की जरूरत है, उसके खिलाफ क्रातिकारी आंदोलन की जरूरत नहीं है। क्रांतिकारी विचारधारा अपने अंतर में रखिए। आप कंस्ट्रक्टिव सज़ेशंस के साथ-साथ कंस्ट्रक्टिव कोओपरेशन भी करिए ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। यदि ऐसा होगा तभी हम उन लोगों के भविष्य के बारें में सहीं रास्ता अपना सकेंगे जो आज बेरोजगार है वरना हम आगे और लोगों को बेरोजगार करने का रास्ता खोलेंगे।

यह बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the Calling Attention.

Sir, at the outset, I would like to make it very clear that our Party is fully committed to the welfare of labourers. Our Party is always in the forefront to take up issues like what is really needed in the interest of labourers.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NILOTPAL BASU) in the Chair.]

Sir, our party is interested in protecting the welfare of not only labourers who are already employed but also millions of people who are unemployed. Sir, in this context, keeping aside the political interests, we have to concentrate on larger issues like how to create more employment, how to prevent closure of the existing units and how to create a feel good feeling among our labourers.

Sir, I would like to mention here that our country needs a lot of investment in both the public sector and the private sector. We require eight lakh crores of rupees for power generation and its distribution. We require 5-6 lakh crores of rupees for linking rivers. We require thousands of crores of rupees for construction of roads, ports and airports. For creating

all these, we require a huge amount of investment. While doing so, we will be able to create more employment. We have to adopt a macro approach in vital issues like this.

Sir, we are part of the World Trade Organisation. We have thrown our gates open to the entire world. Therefore, it is necessary for us to align our laws with the laws existing in other parts of the world. While doing so, we should not sacrifice the interests of our labourers.

Sir, in an important discussion like this, I would like to raise a few important points about the welfare of female labour. In the first place, it is very difficult for women to get employment. If the women employees are displaced or retrenched from service, it will be next to impossible for them to get an alternative employment. Therefore, I am strongly advocating for having separate laws to govern the conditions of female labourers.

Sir, there are a number of complaints about the working conditions of women. I suggest that there should be a special task force to ensure a conducive atmosphere for women. When we are speaking about the labour welfare, we have to mention about the productivity. This is absolutely essential in the interest of the country. Unless the productivity is increased, the country cannot compete in the world. I will give you one example here. The wages for labourers in China are double as compared to the wages of the Indian labourers. If we see the production, the output in China is almost 4-5 times more as compared to India. In this scenario, we can easily imagine how uncompetitive our products will be. Sir, labour and everyone connected with this should seriously introspect.

During the course of disinvestment or privatisation or closure of public sector undertakings, rehabilitation of the workers should be taken care of, either by way of re-employment or any other mode, which is mutually accepted. The welfare of the workers is depending upon the functioning of the public sector undertaking. If the PSU is healthy, the workers will have all the benefits in their favour. If the public sector undertaking is a sick unit, the workers will be the worst sufferers.

While welcoming the reforms in PSUs, I want to say that all the reforms must be with human face. Lastly, I want to mention one thing. The union leaders must be from the working class only. Outsiders should not

be allowed to lead the trade unions in the PSUs. The workers should have an option to elect their leader among themselves. The industry should flourish and interest of the workers has to be protected.

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Sir, I have been listening to this debate on the Calling Attention since this morning. As a new Member, I get dismayed and disappointed at the spirit in which this debate is being conducted. The issue of labour is not a matter on which we can have divisions or can have debate without conciliation. I, for one, believe that this is not a matter for a partisan debate, the kind of which we are listening today since morning, and I say this without any disrespect to my colleagues here. This is not a debate for scoring points; this is not a debate for pointing fingers; this is not a debate for apportioning blame, and this is not a debate for counting and calculating the omissions and sins of others, maybe of the Congress Government. I, for one, believe that - because the reality is so stark and so cruel and the labour situation is so devastating - it is a time to think together and act together. It is in that spirit that I rise in this House. Sir. it is also a time, as I have mentioned, to face the stark realities, to face the plain unvarnished truth about the labour situation today. It is a time to answer the question which has been repeatedly asked for a number of years, "Do we want a society in India where wealth accumulates and the men decay?" If you want to answer that question honestly, if you try to answer, you will find the answer to the entire labour situation. I find that wealthy people are becoming wealthier and everywhere labour is at a receiving end. Sir, I am a partner of the coalition Government and, when I speak, I speak on behalf of myself and on behalf of the Shiv Sena Party. Let me say that in this sentiment I am one with the House that, today, there is a complete opacity about the Labour Policy and it is an understatement which I make when I say "opacity". I feel that the labour is left in the lurch. Today, at the factory level, at the organisation level, at the working level, a mindset is developing that labour is a commodity which can be hired, fired, rejected, etc. Therefore, while speaking on this, I bow before those teeming millions who have come out on the streets today, who have come to Delhi today, because it is they who built the modern India.

A large number of Members, who spoke before me, referred to the First Five Year Plan. I would like to recall for their benefit that when the First Five Year Plan was conceived, Pandit Jawaharlal Nehru called

Dr. Dhananjayrao Gadgil and told him that he could collect about Rs.3,ooo crores only. That was the kind of amount that we had for the First Five Year Plan. Then, Dr. Dhananjayrao Gadgil told Panditji, "If this is the amount, I can call it a Planning Scheme. I can't call it a Five Year Plan". This is the dialogue that took place. From that stage till now, our GDP has crossed Rs.20 lakh crores. Who has created this wealth? This wealth has been created by the teeming and toiling millions of Indians and not by those who believe in their oratory, in their rhetoric, in their ability to blow bubbles of iridescent designs with the help of words. I bow before those teeming millions, I bow before those masses, who built our factories, who built our dams, who built our satellite stations, who built our banks, who built our financial institutions, who are there on the streets of Delhi today to have an audience with the Members of this House and the Members of the Government. They are here to seek assurances. They are here to seek promises that their interests will be protected. We can do these things for them. They are not here for confrontation. But, I am sure, if their voice is not heard - this is the voice of India and not merely the voice of the labour - the time is not away when they will blow bugle and beat drums of war on the streets and your factories will be closed. I. for one, have great respect for the sincerity of our present Labour Minister. I know, for certain, that he has the interest of labour at his heart. But, at the same time, I find that the Labour Policy is getting miscarried. This is something which has to be looked into very carefully and then we should try to apportion the blame. I think the hon. Minister has an onerous task. He happens to be the Labour Minister at a time when the labour is being liquidated. Maybe, eventually, I am not sure whether this Labour Ministry will ever be a part of the Government of India. Maybe, it will become a piece of museum and on the Shrama Shakti Bhawan some may write the obituary of the Ladour Ministry saying that once there was a Labour Ministry in the Government of India. This is the situation today. There are lockouts everywhere; there are lay-offs everywhere; and the labour is suffering from VRS and CRS everywhere. Let me tell you that three days ago I met in Bombay 1,000 women who are from HPCL and other oil companies. They were saying, "Even before they are privatised, we know that we will be thrown out". Our hon. Labour Minister, in his statement, has stated in paragraph 5 that suitable provisions related to employees' interests are included in the shareholders' agreement signed at the time of disinvestment. If suitable provisions are being implemented by the Disinvestment Ministry, why is the labour thrown out?

Why have they been sent on VRS and why is that you do not place all those clauses before us? I for one will demand that if thirteen units have been disinvested, let the Labour clauses, where the employees' interests are protected be placed on the Table of the House and let us see and then we, as Members of Parliament, will see that they are faithfully implemented by those who buy our industries under this disinvestment process.

But on the one hand, they remain on paper, if there be any, and I am certain that in some of these disinvestment agreements, shareholders agreements, these clauses may not even be there. I want this House to be assured that these clauses are already there in all the disinvestments that have taken place here before, because the Labour Minister has made an affirmation in para 5 of this letter.

Sir, we are not against disinvestment. Loss-making units have to be disinvested, because the Government cannot continue to incur losses year after year. But as far as the profit-making units are concerned, the Government has to see carefully whether they can be retained in the public sector. If they cannot be retained, then the Government will have to see how the workers' interest can be protected - not by a feeble provision like this in the shareholders' agreement. It must be an open decision with the employees' unions and officers' union in those organisations. Their consent must be obtained before the disinvestment proposal is approved by the Government, because there the new buyers may not be able to honour some of the commitments made because they may not know the size of the problem that they are facing.

Sir, now I would like to speak about the Report of the Second National Commission on Labour. I do not know whether to call it a Labour Commission, a Management Commission, or an Employer Commission. That Commission's one message is to create a contract culture in India. They want everything on contract. If we have appointed a 'Family Commission', then, they would have said, get your wife on contract. What is this contract culture? My party opposes this and even if we are Members of this Government, our party will oppose it with tooth and nail, if the contract culture is sought to be created in this country.

I am really honoured that the Prime Minister of India has given an assurance and holy assurance to the House that unless there is a

consensus, the new reforms may not be pushed through and they will work for the consensus. We are talking here today of consensus so that a consensus will emerge but some persons have already made their views known and they are casting their vote in favour of the new reforms. We want to say openly and from the roof tops that we will oppose these market-oriented reforms, with tooth and nail with all the might at our command.

Sir, I come to another shibboleth. Everyone was talking that for the last four years, this country was taken for a ride by editors, writers and thinkers. Everyone was saying that we want the Chinese model because there is no Labour law in Exclusive Economic Zones of China. This untruth was fed to everyone. The bureaucrats were the first to feed this untruth to everyone and even in our commercial organisations, in public sector organisations, among thinkers, among politicians, everyone really believed that probably in certain segments of Chinese territory there is no labour law. But, Sir, all the Members of the 2nd National Commissioi on Labour have visited these zones and they have documented - I have read the entire report of the National Commission on Labour - that there are no such relaxations in any of the Chinese zones. After the National Commission on Labour documented this, I do not see any article. I do not see any write-up, any editorial about the so-called Chinese vacuum where no Labour law exists. Actually, there is a Uniform Labour Code and no one is raking up it now. Earlier in this House also people were saying that China has this, they have created the flexible Labour policies. But the National Commission on Labour itself has documented that no such thing exists. So these people, in order to sub serve the vested interests can also spread lies and canards about what is happening in this country because they know that the poor people of India will not be able to visit China and see actually what is happening there. I personally believe that the unemployment situation is so severe that 10 crore young men and women are on the streets and 60 lakh people join the ranks of unemployment every year. There are a few opportunities of employment which are also being taken away. Even the hope of getting a job is being taken away. I will give you an example. As you know, Sir, the Public Service Commission conducts examination for Civil Services in India. Nearly three lakh young men and women compete for this examination. All the graduates can compete. The State Bank of India also conducts similar examination. Every year, they come out with 500 vacancies and three lakh graduates apply for it. Now from this year

onwards, they have said that only first class graduates could apply. When for the Civil Services examinations all the graduates can apply, why should the State Bank of India insist that only first class graduates should apply? Because they know now that attention is not on proper and regular policies, therefore, they can bring in their own ones in the banking industry. That is what is happening. The institutions that were there in the form of the Banking Service Commission have now been withdrawn. Even the hope of appearing for the examination after paying fees has been taken away from nearly two lakh young men and women by one shot. Employment in the small-scale industry is going down because the small-scale industries are going down. The small-scale industries are going down because the financial institutions of India are depriving them of the working capital. The Gupta Committee and the Nayak Committee of the Reserve Bank of India had recommended that the small-scale industry should have 20 per cent of the working capital of its turnover. If the turnover is Rs. 1 crore, Rs. 20 lakhs should be available to the small-scale industry by way of working capital. Now the turnover of all the small-scale industries in India exceeds Rs. 5,00,000 crores. Therefore, a working capital of Rs. 100 crore should have been available to the small-scale industry in India. But as of now, only Rs. 50,000 to Rs., 55,000 crores are available to the small-scale industries. Therefore, as a nation, we are depriving the small-scale industry of the working capital and this source of employment which was there is going down.

Some hon. Members pointed out that large industries are being closed down. Even the auxiliary and ancillary small industries are being closed down. That is another thing. Actually, the policies are not pro small-sale industry. I will explain it to you. There is a very large group of industries; I will not name the group; but once I say a very large group of industry, you all will know what it is. The Central Bank of India, which was earlier a sick bank, lent Rs. 500 crores to this large group at an interest rate of 6.25 per cent. Sir, in Maharashtra, a small- scale industry borrows money from the Central Bank at an interest rate of 15 to 16 per cent. How could this be allowed to happen under the very nose of this Government? Sub-PLR rates are being given to big industries and corporates in the name of they being 'AAA' rated companies. If you have introduced ratings for big industries and corporates, and if you find all corporates 'AAA' rated, can you not introduce ratings for small- scale industries, at least, for those industries which are doing well and whose track record is good?

Dr. Manmohan Singh is sitting here. He knows that even the small-scale industries can be rated and they can be given credit at sub-PLR rates. But, nobody is thinking of small scale. Everybody is thinking of the big; everybody Is thinking of the large; everybody is thinking of the multinational; everybody is thinking of the WTO, the world and the globalised economy. And, the small man and the small industry and everything that is small, is neglected in this country. Sir, attention is not being paid to creation of employment. Yesterday, while participating in the debate, I said that if we want real strong employment in this country, the first rule should be agro-processing industry. Unless the policy-makers of this nation place their emphasis on agro-processing industry and along with agriculture, as I mentioned yesterday, horticulture, pisciculture, sericulture, etc. need to be introduced. It can absorb as many as five million new workers. But, our emphasis is not on the small; our emphasis is on the big and our emphasis on the big industry is becoming bigger and bigger. And, for them, we are prepared to make all kinds of relaxations and give them all kinds of concessions, so that they become monolithic and behemoths of this country. You have already given signal and you have a place of great honour in my heart. So, I will not speak for more than one minute.

Sir, the US model, the Western model, that is being aped and imitated in this country will do us the greatest harm. In Western countries, there is a social security. For unemployed persons, they have full oense of responsibility. Nothing of the kind exists in this country. Therefore, people are nowhere to go. They have no wherewithal; nothing to fall back upon. Therefore, if you take away their jobs, it is as good as taking away their lives. So, this is a question of their survival and this has to be ensured. Sir, I want to highlight one issue. I have been an onlooker, but not a passive onlooker; I have been an active onlooker of social events and social developments. Sir, as I have heard and read so many stories of people selling their body parts in India to survive. People sell their kidneys. People sell all kinds of body parts to remain alive in this country. And, Sir, this body part story is now a yesterday story. Now, in my city, which is one of the largest metropolitan cities of India - Mumbai, people have, particularly I am sorry to say, some girls have come to a situation where, because they have no jobs, they have to go to bars and dance for the whole night and sell their bodies. Now, Sir, the social devastation that is coming, is not a theoretical question. It is a real question. Now, our girls are compelled to go to bars. They are our sisters and today you come and see so many

beer bars flourishing in big cities. There are 25-30 girls dancing in a single bar, dancing and singing for the whole day and night. Now, let them dance and sing and that will spell ruination for this nation; that will spell a disaster for this nation. Therefore, Sir, this is a matter in which we must not try to score debating points, we must not try to point fingers at each other. The Opposition blames, you did this, therefore, I will do this. No. We must sit together, form a National Labour Council and work out a strategy to protect the existing jobs, protect the real wages and create additional job opportunities. Then only, we can have a very strong and vibrant nation. With these words, I thank you once again for giving me this opportunity.

डा.रमेन्द्र कुमार यादव "रवि" (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय दीपांकर मुखर्जी, मनोज भट्टाचार्य, विजय राघवन, गया सिंह और सुरेश पचौरी जी द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हैं। माननीय सदस्यों ने अति संवेदना के साथ भारत सरकार और श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहा हैं। सरकार संवेदनाओं से चलनी चाहिए। सरकार से हमारा जज्बाती रिश्ता है। हमारी अपेक्षाएं हैं। जब सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो अपेक्षाएं होती हैं। आज जिन मद्दों पर यह ध्यानाकर्षण है वे हैं- tO Call the attention of the Minister on the situation arising out of growing labour unrest caused by loss of job, violation of labour laws, closure of units, privatisation of PSUs, etc. ये कई मुद्दे को जोड़ते हैं। गरीब को, अमीर को जोड़तें है। भारतवासी को जोड़ते हैं। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एक वर्ग और वर्ण की संस्कृति होती है। वर्ग,वर्ण, कास्ट का असर हमारे संस्कारों पर होता है। अफ्रीकन रेस भी है। चाइनीज रेस भी है। भारत की रेस भी है। सबकी अपनी मान्यताएं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं जीवन दर्शन होता है। उनके संस्कार, उनकी सभ्यता, उनके जज्बात मूल रूप में एक होते हैं लेकिन हम परिधानों में अंतर पाते हैं। मौजूद सरकार का जो वर्ग और वर्ण चरित्र हैं, जिसकी ओर बहुत ही गहनता और विस्तार से जीवन राय जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ग और वर्ण चरित्र के कारण सरकार की जो स्पेशल फिलोसफी है, सरकार की जो इंकोनॉमिक पॉलिसी हैं वह इस मुल्क को नहीं भाती है। खासकर जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, संगठित, असंगठित मजदूर हैं, जिनकी संख्या चालीस करोड़ के लगभग है। राष्ट्रपति जी ने स्वंय यह कबूल किया हैं कि इस मुल्क के छब्बीस करोड़ गरीबी रेखा से नीचें है। इस मुल्क की अपनी अर्थव्यवस्था है। इस मुल्क की अपनी समाज व्यवस्था है। हम विकसित देशों की दौड़ में अपने मुल्क की, अपनी समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की अनदेखी नहीं कर सकते। हमारा देश तुलनात्मक दृष्टिकोण से उघोगविहीन देश है। बड़े-बड़े उघोगों के लिए हम बड़े राष्ट्रों, अमरीका, जैसे राष्ट्रों पर निर्भर करते है।मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मुल्क का अपना एक संविधान है। हर मुल्क का अपना संविधान होता है पाकिस्तान का सविधान इस्लाम को तवज्जो देता है।हमारे मुल्क का जो संविधान है वह सर्व-धर्म-समभाव को तवज्जो देता है, मान्यता देता है। लेकिन यह सरकार संविधान की इस मुल भावना का उल्लंघन करती है। सर्व-धर्म-समभाव में यकीन नहीं रखती है। धर्मनिरपेक्षता इनके गले के नीचे नहीं उतरती है,

मैं यह कहना चाहता हूं। इसलिए अभी जो सरकारों में है वे पहले बाजारों में थे। शहरों में उनकी पार्टी थी। बाजारों में उनकी पार्टी थी ....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : रवि जी, क्षमा कीजिएगा। मैं तो लोगों को पूरा टाइम दें रहा हूं लेकिन आप विषय पर केंद्रित होकर बोलें क्योंकि इसके बाद हमारे तीन बिल हैं। बिल के बारे में पहले ही तय हो गया कि पूरे नहीं होगे लेकिन कम से कम एक बिल तो पारित कर लेगे।

डा. रमेन्द्र कुमार यादव "रवि" : उपसभाध्यक्ष जी, मैं ध्यान रखूंगा कि पांच-सात मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) :विषय पर केंन्द्रित होकर बोलिए।

डा.रमेंन्द्र कुमार यादव "रवि" **:** मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार को गांव और देहात से जुडने का अवसर मिला था। इस सरकार को, लेकिन गांवों से बेरूखी रही ओर शहरों से रूचि रही। इस मुल्क में जो स्किल्ड लेबरर हैं वे भी विदेश जाते हैं। अभी अहलुवालिया साहब कह रहे थे कि वह टाउन प्लानर हिन्दुस्तान का था। हम उसको महत्व नहीं दे सकते। अन-स्किल्ड लेबरर, जो इस मुल्क में हैं, जो बेरोजगार हैं, बेघर हैं, आज बहुराष्ट्रीय कंपनी की आपाघापी के कारण वे और बेरोजगार हो रहे हैं। उनकी नौकरी छूट रही है। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों का, इस पार्टी का जो चरित्र हैं, वर्ग चरित्र जो सैद्वांतिक और राजनीतिक चरित्र है, वह बदल नहीं सकता है।

"निगाह बदल जाती हैं, अफसाने नहीं बदलते।
साकी-ए-रिश्ता टूट भी जाए मैंखाने नहीं बदलतें"।

इनका जो मूल संस्कार हैं वह परिलक्षित होता है। ऐसे समय में विरूम्भी साहब ने प0जवाहर लाल नेहरू को याद किया था, मैं श्री मती इंदिरा गांधी को याद करना चाहूंगा। एक वक्त था जब बैंको का राष्ट्रीयकरण हुआ। एक वक्त इस मुल्क में ऐसा आया था जब राजाओं-महाराजाओं की चल-अचल संपत्ति लेकर मुल्क को सौंपी गई। आज भी एक दिन ऐसा आया है जबकि इस मुल्क की संपत्ति को निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। यह बहुत ही अलार्मिग है। दस साल, पाचं साल हमें अच्छा लग सकता है इसलिए कि यहां की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ कृषि हैं, लेकिनइस मुल्क में डिनिग्ट ऑफ लेबर नहीं है। आज श्रमिकों की महत्ता, मई दिवस भी आ रहा है, आज लाखो लोग दिल्ली आए हुए हैं। साधु-सतों को यहां तक आने की अनुमति मिली लेकिन इन गरीब लोगों को यहां तक आने की अनुमति नहीं मिली। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का, इस भारत देश का मूलभाव है-

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया :" और "सर्व धर्म समभाव" यह हमारी मूल नीति है। अपने जवाब में श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं देश में हो रहे अर्थिक परिवर्तनों के कारण कामगारों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारें मे माननीय संसद् सदस्यों की चिंता से सहमत हूं, फिर भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कामगारों के हितों की रक्षा की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं इस संबंध में वे क्या करेंगे, यह तो आने वाले दिन ही बतायेंगे,

लेकिन सिर्फ मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं, यह मेरी बात नहीं है। पहला वाला शेर हमारा था

"गगन से ऊपर जहां और भी हैं,
अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं"।

वह हम देखेंगे कि श्रमिकों के हित में, मजदूरों के हित में और इस मुल्क के बेरोजगारों के हित में कितना कुछ कर पाते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था और जस्ट उसके उलट आज दो अरब हाथ बेकार होने जा रहे हैं। दो अरब निजीं कंपनियों को देने से जहां हजार लोग काम करते थे वहां तीन सौ लोग काम करेंगे। हॉर्वेस्टिग के लिए हम विदेशों से कमोनी, निकोनी, रोपनी तमाम चीजें मशीनों से करेंगे। इन हाथो का क्या होगा? इस मुल्क में जो श्रमिक हैं, उसको सम्मान, उसको रोजगार, उसको काम कौन देगा? यह कौन वित्तीय स्थिति खराब है तो राज्यों की वित्तीय स्थिति की कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं, जो केन्द्र की ओर, दिल्ली की ओर चातक की तरह मुंह बाये हुए रहते हैं कि कब केन्द्र से पैसा आएगा। बड़ा अच्छा कहा कि स्वजलधारा और ग्रामीण विकास योजना, तरह-तरह की योजनाएं हैं। ये मन लुभावन योजनाएं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आदमी को रोजगार कैसे मिलेगा? यह बेरोजगारी की जो फौज है, जिससे आतंकवाद बढ़ता है, देश में अंशाति बढ़ती है, आंतवाद बढ़ रहा है, इसलिए जो लोग बेरोजगार है वे बेहाल हैं और उनके अंदर एक प्रतिक्रिया जन्म ले रही है। उनके अंदर की संवेदना सरकार की संवेदनहीनता के कारण उनकी जो अपेक्षाएं हैं ये पूरी नहीं हो पा रही है। आज निजी कंपनियों के हाथो में, अपने चहेतों के हाथों में जो दे रहे हैं, चाहें वह नॉलको हो, बालको हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो या विनिवेश हो, यह विशेष निवेश अगर होता और इस मुल्क में रहने वाले लोगों की नौकरी अगर पक्की होती तब तो बात थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और मंडल आयोग की चर्चा करना चाहूंगा। महोदय, जब पिछड़े वर्ग की बात आती है तो पाते हैं कि कुछ ऊचें वर्ग के लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं और पिछड़े वर्ग के लोग राज्यों की सूची में अगड़े वर्ग में आते हैं। इसलिए यह कंसेप्ट भी खतरे में है। आज तो आप के स्वदेशी जागरण मंच ने भी कहा है कि चाहे आंध्र हो, पंजाब हो, आसाम हो, बिहार हो या जहां भी ये लोग हैं, लघु उघोग, कुटीर उघोग और हस्त-करघा उघोग खत्म हो रहे हैं। महोदय, ये तमाम बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं जोकि आत्म-हत्या कर रहे हैं। आज गरीब किसानो को उस की उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है ऊपर से यह मार पड़ रही है कि ऐसे लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है। आज वी0आर0एस0 एक बहुत अच्छा तोहफा है जिस के लिए कहा जाता है कि तुम वालेंटरी रिटायरमेंट ले लो और घर चले जाओ। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 10 प्रतिशत मजदूरों को भी पी0एफ0 नहीं मिल पाता है। क्या निजी कपंनियो द्वारा आरक्षण प्रावधान लागू नहीं किया जाना स्थापित मान्यताओं का उल्लंघन नहीं होगा? वह तो अपने से जुड़े लोगों को कल-कारखानों में नौकरी देंगे और जो दबे, कुवले लोग हैं जिन्हें कि आरक्षण के आघार पर नौकरी मिली थी, वे नौकरी से वंचित होगे। मैं तो समझता हूं कि कि सरकार तो इस नियम की ही लीपा-पोती करने जा रही है जिस के कारण इस मुल्क में बवाल हुआ और अतंतः राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने जो आरक्षण

दिया हुआ था जिन तमाम कल-कारखानों में एक विधि विहित प्रक्रिया के तहत जिन की नियुक्तियां हुई थीं, वे नौकरी से अलग कर दिए जाएंगे।

महोदया, मैं सरकार से अपेक्षा रखूंगा कि वह देखे कि जो विचार हमारे माननीय सहयोगी सदस्य **श्री** रामचन्द्र खूंटिआ, तेजस्वी वक्ता अविनाश जी ने, मनोज भट्टाचार्य जी, रमाशंर कौशिक जी, जीवन राय जी अहलुवालिया जी और श्रीमती गीता वंगा ने व्यक्त किए है, उस की मूल भावना क्या है? सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े बेरोजगारों की फौज के समाधान की दिशा मे सरकार क्या सोच रही है? आप सड़के 4-वें,6-वें और 8-वें बना रहे हैं, लेकिन लोगों की नौकरी का क्या होगा? क्या विनिवेश के नाम पर उन तमाम लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं नष्ट कर दी जाएं कि विनिवेश हो रहा है या निजिकरण हो रहा है।

महोदय, अमरिका तो साम्राज्वादी देश है। विरूभ्भी जी ने कहा कि सोशलिज्म इस मुल्क से नहीं मर सकता और अमेरिका ने रशिया के साइंटिफिक सोशलिज्म को तहस-नहस किया है और आज वह महागुरू बना हुआ है, महाजन भी बना हुआ है। वह अपने स्टांस पर सभी काम कराना चाहता है। इसलिए भारत सरकार कम-से-कम एंटी पीपुल, एंटी फार्मर, एंटी पुअर, एंटी लेबर न हो और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जाल में इस मुल्क की अर्थ व्यवस्था को, समाजवाद को, इस मुल्क की संवेदना को और इस मुल्क की अपेक्षा को गिरवी न रखे। इन्हीं शब्दो के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यह मेरी ही व्यक्तिगत अवधारणा नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की अवधारणा हैं यह मैं निवेदित करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : मंत्री जी, आप कम-से-कम बोलिए **हैं** लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से जो सवाल पूछा गया है, उस का जवाब दीजिए।

श्रम मंत्री (श्री साहिब सिंह वर्मा) :उपसभाध्यक्ष जी, इस के अलावा जो बात इस से ताल्लुक नहीं रखती है, उस का जवाब देने की तो आवश्यकता नहीं है?

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : नहीं है।

श्री साहिब सिंह वर्मा :माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक ऐसे विषय पर, जो इस देश के सभी जिम्मेदार लोगों को परेशान कर रहा है, उस विषय पर एक बहुत अच्छी चर्चा को आज इस माननीय सदन में मुझे सुनने का मौका मिला। इसमें जो भी विषय रखे गए हैं, वे वास्तव में सारे के सारे हम सबके लिए चिंता का विषय है। मैं इससे संतुष्ट नही होता अगर घंटे, आधे घंटे में इस पर चर्चा होकर चर्चा समाप्त हो जाती, अच्छा हुआ जो अधिक से अधिक माननीय सदस्यों ने इस पर बात की और अपनी चिंता जताई। मैं इस बारे में इतना कह सकता हूं कि सरकार भी इस संबंध में बहुत चिंतित है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी अनेक वक्ताओं ने कहा कि हमने तो कहा था कि हम दस मिलियन लोगों को हर साल नौकरी देंगे, हर साल एक करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अभी हम एक साल में

दस मिलियन लोगों को नौकरी नही दे पाए, लेकिन उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : मीणा जी, टोकाटाकी मत कीजिए। मंत्री जी का जवाब समाप्त होने के बाद अगर कोई भी सदस्य, जिसको लगे कि उसने जो सवाल उठाया था उसका जवाब नहीं मिला तो मैं निश्चित रूप से उस माननीय सदस्य को दुबारा सवाल पूछने का मौका दूंगा।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): सर, मंत्री जी ने तो एक्सेपट किया है। ....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : ठीक है। अभी मंत्री जी बोल रहे है,पहले आप उनकी बात सुन लीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा :महोदय, यह बात भी सहीं है, जैसा मैने कहा कि दस मिलियन लोगों को हम जोब नहीं दे पाए, लेकिन उस दिशा में हमने कदम उठाए है। हमारा लक्ष्य यह रहा है कि लोगों को नौकरी देना है। अगर हम केवल यह बात कहकर चुप रह जाते, उस पर कोई कदम न उठाते तो आप कह सकते थे। हमें मालूम है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से कारण हैं, जिनके कारण काफी ठधोग धंधे बंद हो गए। यह हमारी सरकार के समय से उघोग धंधे बंद नहीं हुए। यह कब से बंद होना शुरू हुए, कबसे इसकी शुरूआत हुई, इस बारे में सभी सम्मनित सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। अब कैसे और लोगों को नौकरी दी जाए, दस मिलियन को कैसे जोब दिया जाए, किन किन लेबर रिफार्म्स की जरूरत है, इसमें क्या क्या करने की जरूरत है, इस पर विचार करने के लिए हमने लेबर कमीशन बिठाया, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। हमने एस0पी0 गुप्ता की कमेटी बैठाई। उसने अपनी रिपोर्ट दी। हमने इस विषय पर कमेटी बैठाई कि किस प्रकार से लोगों को नौकरी मिले, किस प्रकार से इस अंसतोष को खत्म करें। इस पर निंरतर हम काम करते रहे हैं और एक पोजिटिव दिशा में हम आगे बढ़े रहे हैं। मुझे खुशी है कि बेशक हम दस मिलियन लोगों को जोब नहीं दे पाए हैं, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि जो अभी प्रधानमंत्री जी की सड़क योजना चल रही है उसमें लाखों लोग आज काम कर रहे हैं आप जाकर देखिए।दिल्ली के अंदर मेंट्रो की तरफ आप कह सकते है कि शकायतें हैं। हमने उन शिकायतों के बारे में पता किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जहां मिनिमम वेज नहीं मिलते हैं, जहां सोशल सिक्योरिटी की बात है या ईपीएफ में पैसा जमा नहीं होता तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। क्या वहां लोग काम नहीं कर रहे हैं? हजारों लोग आज वहां काम के लिए आ रहे हैं। हमने इस दिशा में कदम उठाए है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, नदियों को जोड़ा जाए और उसमें लाखों लोग काम करें, उस दिशा में भी हमने काम प्रारंभ किया है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल एक बात कहकर उसे वैसे ही छोड़ दिया हो या उस दिशा में काम प्रारंभ न किया हो या कोई कदम न उठाए हों। हमने कदम उठाए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी कहते हैं और बड़े बड़े महापुरूषों ने भी कहा है कि लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए क्योकि अगर लक्ष्य ही सामने नहीं होगा

4.00 p.m.

तो फिर कौन सा काम करेगे, किस चीज के लिए कदम उठाएंगे, किसके लिए कमेटी बनाएंगे और फिर कमेटी किस चीज पर विचार करेंगी। लेकिन, इस दिशा में हमने कदम उठाए हैं और हमें विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं होगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दस मिलियन लोगो को जोब देना है, उसको हम पूरा करके दिखएंगे

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आए हैं, उनमें किसी की नौकरी चली गई है, श्रम कानून के उल्लंघन के कारण कोई परेशानी है, कोई इकाई बंद होने के कारण परेशान है और हमें बताया गया कि इनमें ऐसे लोग भी आए है जो अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। हां, यह बात सही है कि जिन मिलो पर यूनियने काम कर रही है, देश में आर्गेनाइज्ड सेक्टर में तीन करोड़ लोग काम करते हैं और वे उसी के इर्द-गिर्द काम करते हैं। इसके अलावा जो अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते है उसकी तरफ जितनी तवज्जोह होनी चाहिए उतनी तवज्जोह नहीं दी गई है। यह बात भी सही हैं कि देश के अंदर 40 करोड़ वर्कफोर्स है और इस 40 करोड़ वर्क-फोर्स के अंदर करीब 37 करोड लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते है। जिनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा परेशान हैं, जो सबसे ज्यादा दुखी है, जिनको सबसे ज्यादा सामजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, उनके लिए पिछले 55 वर्षो में कौन से कदम उठाए गए? ऐसे कौन से लोग यहां बैठे जिनकी पार्टी की सरकार ने इस देश में काम न किया हो इन पिछले 55 वर्षो में? जितने भी लोग यह पर बैठे हैं, किसी न किसी सरकार में ये सब लोग शामिल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 1996 से 1998 तक जो बहुत सारी पार्टीयों की एक सरकार थी, जिसको कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था, उसने ऐसे कौन से क्रांतिकारी कदम उठाए? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : मंत्री जी, प्रश्न मत कीजिए। ....(व्यवधान)..

श्री साहिब सिंह वर्मा : कौन से असंतोष को खत्म करने की बात आपने की, यह मैं जानना चाहता हूं? ....(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : आप क्या कर रहे हैं, वह बताइए। ....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप चुप कीजिए। ....(व्यवधान)... आप बैठिए। ...(व्यवधान)..

श्री रामचन्द्र खूंटिया : उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी ....(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : खूंटिया जी, आप बैठ जाइए। मंत्री जी , जो बात मैंने "रवि" जी को बोली थी, आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी विषय पर केंन्द्रित होकर बोलिए। यह जो कालिंग अटेशन आज चल रहा है, यह आज जो परिस्थिति हैं उस पर हैं। आप आज के सवाल का जवाब दीजिए। इससे पहले 55 साल में क्या हुआ, उसकी जिम्मेदारी न

आपकी है, न आप पर कोई थोप सकता है। इसलिए आज सरकार ....(व्यवधान).. आप बीच में बोल रहे हैं, आप आ जाइए चेयर पर। मैंम्बर के लिए जो नियम लागू हैं, वही नियम मंत्री जी पर भी लागू हैं। आप विषय पर केन्द्रित होकर बात कीजिए। कोई यह नहीं बोल रहा कि 55 साल की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी लेकिन आपकी सरकार की जहां तक जिम्मेदारी है, इस समस्या का समाधान करने के बारे मे या इस समस्या के बारे में जो सवाल पूछे गए हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : उपसभाध्यक्ष जी, अगर विषय की चर्चा करूंगा तो विषय कहां से शुरू हुआ, प्रारम्भ हुआ, उसका जिक्र भी आएगा। 55 साल कहने से क्या परेशानी हो गई? 1996से 1998 कहने से क्या परेशानी हो गई? ...(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : मूल चन्द जी आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री साहिब सिंह वर्मा : उपसभाध्यक्ष जी, मैं विषय से अलग नहीं जा रहा हूं। मैं केवल श्रामिकों की बात कर रहा हूं, श्रामिको के बारे में चर्चा कर रहा हूं, श्रामिकों के असंतोष के बारे में बात कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : आप समझ यह लीजिए कि आप प्राचीन समय में नहीं जा सकते। आप विषय पर केन्द्रित होकर बात कीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : मैं केवल श्रमिकों की बात कर रहा हूं, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान).. श्रमिकों के हित की बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

प्रो0 राम देव भंडारी (बिहार): यह चेयर का अपमान किया जा रहा है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : मंत्री जी, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने एकदम निष्पक्ष रूप से जो बात माननीय सदस्य के प्रति बोली थी, वहीं आपको भी बोली। प्राचीन सभ्यता में भारतीय समाज क्या था, उस समय क्या अर्थव्यवस्था थी, इसका उत्तर ढूंढ़ने हम नहीं जा सकते। आज की सरकार क्या कर रही है, किस हद तक वह काम कर रही है, कैसे इस समस्या का वह निदान करने की कोशिश कर रही है, यह बताना पड़ेगा।

श्री मूल चन्द मीणा : वोट लेने के लिए यह घोषणा की थी। ...(व्यवधान)..

: मीणा जी, आप चुपचाप बैठ जाइए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : उपसभाध्यक्ष जी, मैं जब श्रामिकों के असंतोष की बात करूंगा तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि श्रमिकों के मामले में जो 55 वर्षो में नहीं हुआ, इस सरकार ने उस काम को करने का प्रयास किया है। इसको बताने में ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : आज उससे ज्यादा असंतोष है। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री नीलोत्पल बसु) : वह तो विषय ही नहीं है न। हम बाहर मैदान में जाकर खूब भाषण करते हैं, इस सवाल पर हम सब भाषण देते हैं लेकिन आज इस सदन में हमारी चर्चा का दायरा सीमित है। ...(व्यवधान)..

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुई)

श्री मूल चन्द मीणा : यह घोषणा तो वोट के लिए की गई थी, वोटिंग तो आज हो गई अब इसे पूरा भी करो।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us finish this thing because we have also a legislation to pass.

श्री साहिब सिंह वर्मा : महोदया, माननीय सदस्यों ने जो कुछ प्रश्न उठाए थे, उनका उत्तर देते हुए मै अपनी बात कह रहा था। मैं यह भी बता रहा था और मैंने सदन को आश्वसन दिया था कि इसी बजट सत्र में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहें 37 करोड़ लोगों के लिए, जो, मजदूर हैं, जिनमें असंतोष रहा है, पिछले 55 वर्षो से असंतोष रहा है जिन्होने एकसपना देखा था कि जब देश आजाद होगा तो उसके बाद हमारा भी कोई सहारा बनेगा, सरकार हमारे लिए भी कुछ काम करेगी, उन श्रमिकों के असंतोष को दूर करने के लिए सरकार इसी बजट सत्र में सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बिल लाने वाली है। महोदया, अभी एक चर्चा आई कि एग्रीकल्वर वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया गया है। कई माननीय सदस्यो ने इस बारे में यहां चर्चा की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 1980 में इस बारे में सबसे पहले चर्चा आरंभ हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक लगातार अनेको सरकरों ने, हमारी सरकार से पहले भी और हमारी सरकार ने भी राज्यों से इस बारे में चर्चा की। हमने स्टेट्स के मिनिस्टरर्स के साथ इसके बारे में चर्चा की लेकिन इस बारे में कोई कंसेंसस नहीं बना । वैस्ट बंगाल ने तो यह कहा कि यह केन्द्र का काम नही है। एग्रीकल्वर वर्कर्स के लिए केन्द्र कानून न बनाए। जिन माननीय सदस्यों के दल वहां सरकार में शामिल हैं, जो इस मुद्वे को उठा रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वैस्ट बंगाल की सरकार ने यह कहा था कि यह केन्द्र का काम नहीं है, राज्य सरकारें अपने आप इस बारें में कानून बनाएंगी। मैं मानता हूं कि कुछ राज्य सरकारों ने इस बारे में कानून बनाए। केरल की सरकार ने कानून बनाया और 22 लाख लोगों को इसमें शामिल किया। अब उनको दिक्कतें आ रही हैं यह अलग बात हैं लेकिn उन्होंने कानून बनाया और इस पर काम आरंभ किया। इसी तरह त्रिपुरा की सरकार ने भी कानून बनाया था लेकिन कानून बनाने के बाद उनको डर लग गया और उन्होने उसको लागू नहीं किया। इसके अलावा कारण हो सकते हैं। लेकिन यह बात सहीं है कि एग्रीकल्वर वर्कर्स के लिए कानून बनना चाहिए।

महोदया, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के 37 करोड़ लोगों के लिए हम जो बिल ला रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर सैक्टर के सभी लोग को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए हमने प्रावधान किए हैं

महोदया, मेरे कई मित्रो ने कहा कि आज जो रैली हो रही है, वह इस बारे में हो रही है कि हम जो भी संशोधन लेबर लॉज में लाना चाहते हैं, वे उसकी खिलाफत करते हैं। वे चाहते हैं कि उसमें कोई संशोधन न हो। वे चाहते है कि लेबर कमीशन की रिपोर्ट पर काम न हो, यघपि लेबर कमीशन की रिपोर्ट से मेरे कई मित्रो ने कुछ पैराग्राफ उद्वत करके उनका जिक्र किया, उनकी चर्चा की। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि वे इसके खिलाफ हैं। लेबर कमीशन की रिपोर्ट में जो बात कही गई हैं ...(व्यवधान)..

SHRI JIBON ROY: Madam, there should not be any misinterpretation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you to seek your clarification. But, first, let him complete his reply.

श्री साहिब सिंह वर्मा महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बाते उसमें कहीं गई हैं, उसके विरोध में आज यहां चर्चा चल रही है। आज का जो कानून है, उसके अंदर यह प्रावधान है कि जहां सौ से कम वर्कर्स काम करते हैं, अगर वहां किसी वर्कर की 10 साल की नौकरी हो गई है तो उसको 5 महीने का वेतन देकर, एक महीने का नोटिस देकर नौकरी से निकाल सकते है। क्या आप लोग यह चाहते हैं? क्या इस प्रकार कानून को खत्म नहीं होना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि जो आज का कानून है, वह बिल्कुल कंपलीट है? क्या उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है?

महोदया, जब लेबर रिफॉर्म की बात आती है तो केवल एक ही चर्चा होती है कि लेबर रिफॉर्म का अर्थ है कि हम लेबर के खिलाफ कुछ काम करना चाहते हैं। हम एक ऐसा वातावरण चाहते हैं जिसमें सद्भावना हो। माननीय अश्विनी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हम कोइ दुश्मनी का वातावरएण नहीं चाहते हैं क्योंकि इम्प्लॉयर और इम्प्लॉयी, दोनो एक ही गाड़ी के दो पहिए है। जब तक ये मिलकर हारमोनी के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक गाड़ी आगे नही चल सकती है। लेकिन मेरे कुछ मित्र यह भी कहते है कि नहीं, यह तो क्लास-कन्फ्लिक्ट है, यह तो हमेशा रहने वाला है। अगर यह रहेंगा, **तभी हम रहेंगे अगर यह क्लास कन्फ़िअलकर नही रहेगा हम नही रहेगे** इस प्रकार की सोच भी गलत है क्योंकि वे एक ही परिवार के सदस्य के रूप में आत्मीयता के साथ मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक गाड़ी आगे नहीं चलेगी। इस हारमोनी की बहुत आवश्यकता है।

महोदया मेरे कई मित्रो ने यह बात बिल्कुल सही कही कि जो मिनिमम वेंजेजं फिक्स किए गए हैं, वे ठीक नहीं किए गए हैं। वैसे तो राज्य जो जितना चाहे, जहां जिस दल की सरकार है, वह जितना चाहे उतना दे सकता है। मैने भी इस बारे में अपने मंत्रालय से कहा है

कि राज्य सरकारें जो वेजेज देना चाहती है- हमें सारी बातों का अध्ययन करके, रोटी, कपड़ा और मकान का अध्ययन करके, स्वास्थ्य और शिक्षा का अध्ययन करके- इन सारी बातो पर विचार करके वेजेज फिक्स करने चाहिए। अभी हमने उसको रिवाइज किया था और अब हम उसे दोबारा और रिवाइज करने जा रहे हैं। हम उसे इस लेवल तक पहुंचाने जा रहे हैं जिससे मजदूर ठीक प्रकार से अपना गुजारा कर सकें और डिग्निटी के साथ वह अपना जीवन- यापन कर सके।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी यह बात कहीं गई कि लेबर कमीशन की रिपोर्ट के बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं हो पाई है। स्टैंडिंग कमेटी में उस पर चर्चा होनी चाहिए यह बात भी सामने आई है। अभी तक हमने इसके ऊपर इंडियन लेबर कान्फ्रेस में विस्तार से चर्चा की है। फिर हमने अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के ऊपर एक नेशनल सेमिनार बुलाया और दो दिन तक उसमें चर्चा की। फिर एक त्रिपक्षीय मीटिंग में फरवरी के महीने में हमने इस पर दो दिन तक उसमें चर्चा की है। मैने सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना की है कि अगर वे इस पर चर्चा करना चाहे तो हम सब अधिकारियों को ...(व्यवधान).. माननीय उपसभापति महोदया, जब यह बोल रहे थे तो हम बिल्कुल शांत थे। हमें इनकी बहुत सी बातों पर ऐतराज है। लेकिन ये कुछ आदत से मजबूर हैं। अपनी आदत ठीक करे तो ठीक रहेगा।

SHRI JIBON ROY: I need not learn from you about आदत से मजबूर हैं

उपसभापति : उन्होने बुरा नहीं कही, खाली यह कहा कि आदत से मजबूर हैं। This is not unparliamentary.

SHRI JIBON ROY: It is very dangerous. Madam. *...(Interruptions)...*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: This is very unfortunate.

श्री संतोष बागड़ोदिया : यह पसर्नल रिमार्क है। ...(व्यवधान)...

उपसभापति : पसर्नल भी नहीं है, जनरल बात है।

श्री साहिबं सिंह वर्मा : अभी इस बात की भी चर्चा की गई है कि किसी भी क्षेत्र में रोजगार बढ़े नहीं है सभी **में** घटे हैं। मैंने अभी जो स्टेटमेंट की कॉपी पटल पर रखी है उसके अंदर मैंने दिखाया है कि कुछ बढ़े भी है। जैसे उदाहरण के लिए कंस्ट्रक्शन के अंदर 50.2 परसेंट बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन में 42.7 परसेंट बढ़ा है। ट्रेड में 34.2 परसेंट बढ़ा है। फाइनेसियल सर्विसिज में 45.7 परसेट बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हरेक में घटा ही हो, लेकिन कही-कही बढ़ा भी है। लेकिन यह बात सही है और रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के अंदर जो करोड़ो नौजवान हैं उनके हाथ को काम चाहिए और उसके

लिए हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा। यह नही कि हम जो पुरानी बात चली आ रही हैं चाहे उघोग-धंधें बंद होते चले जाएं, एक तरफ तो हम यह भी कहते रहे है कि लाखों उघोग-धंधे बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ अगर उसके कारणों की हम जाचं करते हैं कि क्यों बंद हो रहे हैं तो उसमे दों चीजों के करने की आवश्यकता है, कुछ अपने कानूनो में बदलाव की आवश्यकता है। हम यह भी कहें कि नौकरी मिलनी चाहिए, उघोग धंधें भी चलने चाहिए लेकिन उघोग चलाने वाले अगर हम इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं करेगे जिससे उनके इंवेस्टमेंट को एट्रेक्ट कर सकें तो फिर उघोग-धंधें कैसे बढ़ेगे, कैसे रोजगार बढ़ेगे? तो उसके लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ेगा और यह बात प्रधान मंत्री जी ने भी कही है कि हम सब को मिलकर इस पर कोई कंसेंसस बनाना चाहिए। इस प्रकार के हमारे कानून बनें और सारे डिस्कसन के लिए पूरी तरह से हमारी पार्टी चाहती है कि इस पर चर्चा हो, इस पर कंसेसस बने और इस पर जितना जल्दी हो सके हम काम करे ताकि अधिक से अधिक उघोग धंधों को एट्रेक्ट कर सकें, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दे सकें। बोनस के बारे में बात आई है कि बोनस की सीलिंग बढ़नी चाहिए। मैं व्यक्तिगत इस पक्ष में हूं **और हम इजबल के लिए कर सकते है कि सीलिग को बढ़ाया जाए यह बात सही है कि** जब हम रेट आफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मेरे मित्र कहते हैं कि रेट आफ इंटरेस्ट 12 परसेंट था तो साढ़े 9 परसेंट हो गया। जब मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे है, आपने इसको कम नहीं होने दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पैसा है यह पैसा वर्कर्स का है, यह वर्कर्स के एकाउंट का पैसा है हम इसके कस्टोडियन हैं। हम कहीं पर ऐसी जगह इंवेस्ट नही करना चाहते जहां किसी प्रकार का कोई जोखिम हो। हम शेयर्स में इसको इंवेस्ट नहीं करना चाहते। हमने इसके इंवेस्टमेंट का पैटर्न **बनाया है और वह पेटेर्न इस** तरह का है जहां किसी तरह का भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छों जगह इंवेस्ट करके जो बैस्ट से बैस्ट रिटर्न ले सकते हैं वह रिटर्न हम अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं। मैं यह समझता हूं की आज की स्थिति में जो 9.5 परसेंट दे रहे हैं यह अधिकतम है, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उन मजदूरों को यह कह करके कि आपका इंटरेस्ट घटा दिया है, 12 परसेंट से साढ़े 9 परसेंट कर दिया है, उनको भड़का करके और उनमें इस प्रकार की भावना जगा करके और उन**को** संगठित करने का प्रयास किया जाता हैं जबकि उनको वस्तु-स्थिति से अवगत कराना चाहिए कि क्यों हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया हैं, उसके पीछे कौन सी बात है।

श्री दीपांकर मुखर्जी : इसका क्या मतलब है। ...(व्यवधान)... इसमें भड़काने की क्या बात है। ...(व्यवधान).. 12 से साढ़े 9 परसेंट हुआ है। It is a fact. इससे तो वह भड़क ही जाएगा। It has factually been reduced to 9.5 per cent.

श्री नीलोत्पल बसु : वह भी जवाब दे दीजिए जो ठाकुर साहब ने सवाल किया है। गवर्नमेंट को साढ़े 6 परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है और स्मॉल स्केल सैक्टर को 14 परसेंट मिल रहा है। उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय उपसभापति महोदया, यह जब इस कुर्सी पर बैठे थे तो कह रहे थे कि जो इसमें सवाल लिखे गए हैं उसके अलावा कुछ मत बताना और मैंने आपसे पूछा कि यह जो इधर-उधर की बातें की गई हैं, तो कहा कि बिल्कुल नही बताना और फिर वहां

चले गए तो कहते हैं कि उस सवा 6 परसेंट के इंटरेस्ट के बारे में बताओं। तो यह जो प्रश्न उठाए गए हैं इनका इससे क्या लेना देना है

श्री सुरेश पचौरी : यह जो सदन है एक गरिमा के हिसाब से चलता है। इस सर्वोच्च आसन पर महोदया आप विराजमान हैं। आपका हर आदेश और निर्देश हमारे लिए शिरोधार्य हुआ करता है। जो भी उस सर्वोच्च आसंदी पर विराजमान रहता है, जब वह वहां विराजमान रहता है तो वहां अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है और जब यहां विराजमान होता है तो यहां अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है।

उपसभापति : यह तो वे भी कह रहे हैं। ...(व्यवधान)....

श्री सुरेश पचौरी : उप पति माहेदया, आसंदी पर कटाक्ष नहीं होना चाहिए। उपसभापति महोदया, इसके बारे में आपकी रूलिंग क्या हैं?

उपसभापति :इसमें रूलिंग देने की क्या बात है?

श्री सुरेश पचौरी :महोदया, आसंदी पर कटाक्ष नहीं किया जा सकता है।

उपसभापति : नहीं, कटाक्ष नहीं किया। उन्होने यह कहा हैं कि यहां से जो बोल रहे थे वह अलग बात थी और अब वहां से जो बोल रहे हैं, वह अलग बात है। यही बात तो कह रहे थे। That is exactly what he said. *...{interruptions)...* \

श्री नीलोत्पल बसु : उन्होने यह नहीं बोला है। That is not exactly what he said. *...{Interruptions)...*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, the real problem is that the people who are taking loan for investment in priority sector are paying more interest than the corporate sector. *...interruptions)...*

श्री सुरेश पचौरी : उपसभापति महोदया इसके बारे में आपकी रूलिंग क्या है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us talk about the interest that is being charged. *...(Interruptions)...* This is what you are really interested in. *...{Interruptions)...* He had given a ruling from the Chair *...{Interruptbns).:.* Just a minute. *...{Interruptbns)...* Shri Suresh Pachouriji has sought my ruling. Do you want to hear my ruling or not? *...{Interruptbns)...* When any hon. Member, who is there on the pane! of Vice-Chairmen, is presiding, has a different role to play. But, when they are in their seats, they have a different role to play. I am only concerned with that. *...{Interruptbns)...*

SHRI NILOTPAL BASU: But. my point is, whatever I am saying here is exactly what I said while sitting in the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is all right.

SHRI NILOTPAL BASU: This is my point. Madam, he can't refer to my ruling in the Chair. *...(Interruptions)...* In any case, he can't do that. If he does not withdraw his words, I will not sit in the Chair. *...(Interruptions)...* If the hon. Minister does not withdraw his words. I will not sit in the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us not start another discussion. *...(Interruptions)...* Now, what is the basic idea? The basic idea *...{Interruptions)...* Mr. Nilotpal Basu, I want to tell you one thing. I will ask the hon. Minister to reconsider what he has said and explain it. The main thing here is, it was I who asked you to have a discussion on any subject which you like. You said that you would like to have a discussion on labour. We decided this on the second day of the session. And the discussion is taking place today, since 12 o'clock. The basic interest of yours is to find a solution for the labour problem. Let the hon. Minister finish his reply. If you still have any doubt about it, or. if you have any queries, I will permit you. But, if you continue to interrupt, we will not be able to get through. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, he cannot comment on the Chair. *...(Interruptions)...* How can he point out against the ruling of the Chair? *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us not *...(Interruptions)...* Let us not *...(Interruptions)...* Don't quarrel over the ruling of the Chair. I can give hundreds of examples when I was sitting in the Chair, Members have pre-empted me by saying that I am not allowing them to speak. Members had pre-empted me when I had not taken a decision as to who should be allowed to speak. *...(Interruptions) ..* They have commented on me also. *...(Interruptions)...* No; we cannot have two yardsticks.

मंत्री जी, आप बोलिए। आप बोलिए। ....(व्यवधान)...

श्री दीपांकर मुखर्जी : मंत्री जी ऐसे ही बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे।

(at *this stage, the hon. Member left the Chamber.)*

उपसभापति :चलिए, आप बोलिए मंत्री जी। अभी बिल पास कराना है। अभी लेजिसलेटिव बिजनेस है।

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय उपसभापति महोदया, मैं एक बार फिर से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस कुर्सी का बहुत मान-सम्मान मेरे दिल में है।

उपसभापति :करना चाहिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : ऐसा कहकर मैंने किसी रूप में भी इस मान-सम्मान को कम नहीं किया है। फिर भी माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उनका मान-सम्मान कम हुआ हैं, । am sorry for that.

उपसभापति :चलिए हो गया। नीलोत्पल जी, अब आपकी बात खत्म हो गई हैं। अब आप बैठ जाइये। ....(व्यवधान).. अब एक बात मैं कहूं कि जब मैं आपसे बहुत ही अच्छी तरह से बोलती हूं कि आप बीच में दखल मत दीजिए, तब आप भी चेयर की बात नहीं मानते हैं। उस समय मुझे भी बुरा मानना चाहिए, लेकिन मैं तो बुरा नहीं मानती हूं। मैं कहती हूं कि आप बैठ जाइये, बैठ जाइये। यहां पर बुरा मानने का सवाल नहीं है। We are doing our job. Everybody is doing his job. We have to do it with sincerity.

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय उपसभापति महोदया, मैं यह कहूं कि जीवन राय जी ने यह कहा कि स्टैंडिंग कमेंटी में यह बात होनी चाहिए। माननीय सदस्य हमारी कंसल्टेटिव कमेटी के मैम्बर हैं। हमने कमेटी की पिछले दिनों चार बैंठकें बुलाई हैं, लेकिन वे चार बैठकों में से केवल एक में हाजिर हुए हैं। यह तो कंसलटेटिव कमेंटी की बात है, आप यहां क्यों कह रहे है? आप स्टैडिंग कमेटी की बात जब यहां कर रहे हैं कि मीटिंग क्यों नहीं बुलाते –फिर अगर मैं यह कहूं कि माननीय सदस्य अगर कोई बात कहते हैं तो उस प्रकार का व्यवहार भी वे करें तो कौन सी गलत बात मैं कहता हूं। अगर कोई कहता हैं कि आप मीटिंग नहीं बुलाते और मैं यह कहूं कि मीटिंग तो हम बुलाते हैं, आप मीटिंग में आते नहीं तो फिर हमने ऐसी कौन सी बात कहीं है जिससे उनकी इज्जत में खराबी होती है, उनकी इज्जत में फर्क पड़ता है?

SHRI JIBON ROY: Madam, again, he is personalising and misrepresenting the facts. I am not a Member of the Consultative Committee *...(Interruptions)...*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please, let him finish. I think, Mr. Virumbi said, if we invest the money in some other way, we can get better returns.

SHRI S. V1DUTHALAI VIRUMBI: Madam, I said...*(Interruptions)...*

SHRI SAHIB SINGH VERMA: Madam, I simply said, for कि प्रावीडेंट फंड के रेट ऑफ इंटरस्ट की बात आयी। जिसके ऊपर आज आपने कहा कि बहुत सारे मजदूर अपना विरोध प्रकट करने के लिए आए। उनमें बड़ा असंतोष है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कोई हमें यह बताए कि आपका तो इनवैस्टमेंट पैटर्न है, वह गलत है। आप इसमें इनवैस्ट न करके इसमें कीजिए तो आपको 9.5 से ज्यादा या 12 परसेंट रेट ऑफ इंटरस्ट हम दे सकते है। अगर कोई यह बात कहे तो बात समझ में आती है। लेकिन कोई यह कहें कि आपने 12 परसेंट से 9.5 परसेंट क्यों कर दिया तो यह गलत है। यह बात आप किसी मजदूर को, किसी श्रमिक को, किसी बेचारे को जिसे सारी बातों की जानकारी नहीं है, अगर उसे बताएंगे तो निश्चित रूप से वह भड़केगा। वह कहेगा कि मेरा रेट ऑफ इंटरस्ट 12 परसेंट से 9.5 परसेंट क्यों कर दिया? इसलिए मैं कह रहा था कि वस्तुस्थिति से अवगत कराना हमारा काम है। यह हमारा काम है कि हम जिन्हें रिप्रेजेंट करते है, जिनके हम नेता बनते है, जिनका हम नेतृत्व करते है, उनको सहीं सहीं बात से अवगत कराएं। अगर हम नहीं करवाते, उनको धोखे में रखते हैं तो इसका मतलब है कि गलत बात कहकर उनकी भावनाओं को भड़काकर हम उनसे नाजायज़ फायदा उठाते हैं। यह मैने कहा कि यह करना उचित नहीं है। इसमें कौन सी गलत बात है? फिर वे कहेंगे कि इससे भी हमारी बेइज्जती होती है। अगर हम लागों को धोखे में डालकर, गलत बताकर, भड़काकर इकट्ठे करके प्रदर्शन करवाते हैं तो आप कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, इससे हमारी बेइज्जती होती है। तो मैं क्या करूं, बेइज्जती तो होगी ही। अगर गलत काम करेंगे तो होगी। इससे मैं क्या कर सकता हूं?

श्री नीलोत्पल बसु: आप हद से बाहर जा रहें हैं। .....(व्यवधान)... अगर वास्तविकता यह है कि साढ़े नौ परसेंट हो गया तो ... आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं हैं।

SHRI JIBON ROY: Madam, he is misrepresenting the facts. He does not know the rules and regulations...*(Interruptions)...* He is a new entrant to the Ministry.

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई बार यह कहा जाता है कि ...

SHRI JIBON ROY: He has not replied even to a single point. He is misrepresenting the facts...*(Interruptions)...* Madam, I seek your protection. I want to seek some clarifications from the hon. Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will protect you, and ask the hon. Minister to reply to your clarifications...*(Interruptions)...* Let him finish first. He is willing to reply to your clarifications.

श्री साहिब सिंह वर्मा : माननीय सदस्य जो भी क्लैरीफिकेशन लेना चाहेंगे- मुझसे कुछ बात छूट गयी होगी- मैं अपनी बात खत्म कर लूं उसके बद वे कह सकते हैं। अभी पिछले 27-28 वर्ष से चर्चा चल रही थी, जिसका जिक्र कुछ माननीय सदस्यों ने भी किया है कि जो वर्कर्स हैं, उनका पार्टीसिपेशन मैनेजमेंट में किसी प्रकार से नहीं होता। इस पर बहुत चर्चा चलती रही। स्टैंडिग कमेंटी में भी यह मामला आया और अब मैं माननीय सदस्यों की, सदन की और सभी वर्कर्स की खुशी के लिए बताना चाहता हूं कि हम इसी बजट सैशन में "पार्टीसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनजमेंट" यह बिल इसी सत्र में कि बजट सत्र में इंट्रोड्यूज कर रहे हैं। इसकी जानकारी में देना चाहता हूं। यह बात सही है कि अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर राज्यों को जितना काम करना चाहिए, मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, व्यक्तिगत रूप से उन से चर्चा भी की है कि सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वैलफेयर बोर्ड बनाएं। वैलफेयर बोर्ड बनाकर उनको एनरोल करें और उनको किसी न किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी दिलवाएं। यह मैंने उनसे चर्चा की है। सरकार के बारे में, पार्टी के बारे में कई बार चर्चा होती है कि यह बड़े लोगो की पार्टी है। कई लोगों ने यह भी कहा कि उसका नाम तो श्रमिक मंत्रालय नहीं, उसका नाम इम्प्लॉयर्स मंत्रालय रख देना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद पिछले 55 वर्ष में पहली बार गरीबों की चितां करने वाला, पटरी की चिंता करने वाला,खोमचे वाले की चिंता करने वाला, कुली, बेलदार, पल्लेदार की चिंता करने वाला, किसी बार्बर की दुकान पर जो मजदूर काम करता है, उसकी चिंता करने वाला, खेत में मजदूरी का काम करने वाले की चिंता करने वाला, साइकिल रिक्शा चलाने वाला, आटो रिक्शा चलाने वाला, इस प्रकार के सैंकडों धंधे जो लोग कर रहे हैं ..... अगर किसी ने उनकी पहली बार चिंता की है तो वह देश के प्रधान मंत्री जी ने की है। श्री अश्विनी जी ने जो राइट टू वर्क की बात कहीं थी कि लोगों को राइट टू वर्क है। माननीय उपसभापति महोदया, अगर किसी ने उसकी चर्चा की तो सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि रेडी पर, पटरी पर जो लोग बैठते हैं, यदि उनको काम करने का अधिकार, उनको रोजी नहीं दे सकते तो उनको अपना काम करने का अधिकार तो है। इसलिए सैल्फ इम्प्लॉयड जितने लोग हैं, हम उनको किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी दें। इस देश की सरकार, वर्तमान सरकार इस बात के लिए बिल लाने वाली है। महोदया, यह सरकार गरीबो के लिए सरकार है, मजदूरो के लिए सरकार है, बेसहारा लोगों का सहारा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो भी कुछ करेंगे, मजदूरों के हित के लिए करेंगे। देश के करोड़ो लोगो को, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जिनके हाथो को काम नहीं मिला है, उन हाथों को काम देने का प्रयास करेंगे और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपने alitude
में उन्हें बदलाव लाना चाहिए। दिल्ली के एक बहुत बड़े शायर थे फलक। उन्होने कहा था –"तू भी बदल फलक कि जमाना बदल गया"। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से उनसे जो बहुत प्रोग्रेसवि हैं, जो अपने आपको वर्कर्स का मसीहा कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे अपने व्यवहार में कुछ अंतर लाएं। बातों से काम नहीं चलगा, काम से काम चलेंगा। आप लोगों के कारण कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI JI60N ROY: Madam, ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, if you want to put any questions, you may do so.

SHRI JIBON ROY: Madam, I want to put three questions.

उपसभापति : एक क्वेश्चन पहले आप पूछ लीजिए। पहले उसका जवाब हो जाने दीजिए।

SHRI JIBON ROY: Madam, the thing is that he has not replied to my basic question. On the question of Provident Fund, two allegations were there. The first point is regarding the interest rate which has been brought down from 12 per cent to 9.5 per cent due to which workers have suffered a lot; and, the second point is, out of 40 crore workers, only 3.2 crore workers are covered under the Provident Fund Scheme, and others have been left out. They have not been covered. This is one thing.

Madam, the third point is that so far as labour legislation is concerned, I want to inform him that there are specific rules in this regard. He does not know the rules. He should check up with the Ministry that when any Bill comes before the Parliament, before that there is an instrument called the Standing Committee on Labour, which is a tripartite Committee, where it is ought to be discussed. They have not discussed it there, and he has said that he will not discuss that.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. *...(Interruptions)...* If you ask too many questions *...(Interruptions)...*

SHRI JIBON ROY: Madam, he has personally attacked me. He said that I am not attending the meetings of his Consultative Committee. I am not a Member of his Consultative Committee. I am a Member of the Consultative Committee attached to the Ministry of Steel. I am only an invitee to his Committee. Madam, whenever possible, I attend the meetings. It is not right to attack me personally that I am not attending his meetings. Press was there; everybody was there. He cannot attack me personally.

The fourth point, Madam, is that he does not know the rules. Madarn, the rule is that for the subjects which are in the Concurrent List like agriculture, labour, etc., the model laws are formulated by the Centre. And,

then it is forwarded to the States, and they formulate the laws. The basic land reform law was enacted by the Parliament, and then different States have executed it. The Industrial Relations Act was also formulated initially by the Centre and then different State Governments have formulated it. How could he say that the State Government has not formulated it, and they are not pursuing it? It is not correct.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Jibon Roy Ji, you have put your questions. The basic questions are these. The first one was about lowering of the interest rate on Provident Fund from 12 per cent to 9 per cent. And, secondly, Shri Jibon Roy said that why out of 40 crore workers, only 3.5 crores workers have been covered under the Provident Fund scheme. First you reply to these two questions, and, later on, I will explain to you about the rest of things.

श्री साहिब सिंह वर्मा : अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि for rate of interest 12 % 9 से ९ परसेंट हुआ है। वह इसलिए कि उस पर जितना रिटर्न हमें मिला है, वही हम लोगों को दे रहे हैं, and, that is the best investment, which was possible for what we have invested.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it the safe investment?

SHRI SAHIB SINGH VERMA: Madam, it is a totally safe investment.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, this is one thing. The second question was about the coverage.

SHRI SAHIB SINGH VERMA: Yes; Madam, the second point was about the coverage. I agree, this is what I have repeatedly said that we have covered only about 3.4 crore workers, and the rest of workers who are in the unorganised sector have not been covered. We are going to bring forward a Bill to this effect in the Parliament in the Budget Session itself. This Bill is only for that purpose. We have to give some sort of social security to these people. Madam, this is what I am stating.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the other thing is, Mr. Jibon Roy has said that he is not a Member of your Consultative Committee.

श्री साहिब सिंह वर्मा : आप कहें कि मैं इन्वाइटी हूं, मैम्बर नहीं हूं। इन्वाइटी इसलिए रखा होगा क्योंकि ये लेबर में बड़ी रूचि रखतें हैं। मीटिंग में आया करेंगे। आप कह रहें हैं कि मैंम्बर नहीं हूं लेकिन इन्वाइटी भी तो कमेटी का मैंम्बर ही होता है। Why you are an invitee?

उपसभापति :मैम्बर बन जाइए।

श्री साहिब सिंह वर्मा : अगर हम आपको बुला रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हैं कि आपकी रूचि नहीं हैं।

श्री जीवन राय :हम आते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish *...(Interruptions)...*

SHRI JIBON ROY: He has not discussed the labour laws in the Standing Committee... *(Interruptions)...*

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Hon. Deputy Chairman, my question is very specific. May I know whether the hon. Prime Minister has called a meeting, two years ago, and discussed with all the Central Trade Unions for immediately bringing an amendment to the Bonus Act, for raising the ceiling? If so, why has it not been brought before Parliament till today? It is my first question.

My second question is about the rate of interest -- 9.5 per cent or 12 per cent - given on Provident Fund. But the Provident Fund Scheme has a Central Provident Fund Committee to which the hon. Minister is the Chairman. My point is, why should the Government intervene and issue a circular reducing the rate of interest on Provident Fund from 12 per cent to 9.5 per cent, instead of allowing the Central Provident Fund Committee to decide about it? Why should this facility not be given to the Central Provident Fund Committee? Why is the Government fixing it at 9 per cent or 12 per cent? Will the Government stop its intervention and give liberty to the Central Provident Fund Committee -- to which the hon. Minister is the Chairman - to decide about the rate of interest, investment and everything?

उपसभापति : दो साधारण सवाल हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसके बारे में बता दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा :दो वर्ष पहले जो मीटिंग बुलाई थी उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। जब ट्रेड यूनियन्स के लीडर्स ने मुझसे कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो स्वंय उन्हें प्रधानमंत्री जी के पास लेकर गया था। उस समय यह बात आई थी कि पी.एस.यूज. का जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें अनएम्प्लाएमेंट हो रहा हैं, लोगों को निकाला जा रहा हैं, वी.आर.एस. दी जा रही है। तब प्रधानमंत्री जी के सामने, ट्रेड यूनियन लीडर्स के सामने हमने कहा था कि मॉडर्न और बाल्को के अंदर कमेटी बनाकर इस बात की जांच करवाएंगे कि वस्तुस्थिति क्या है। हमने कमेटी बना दी है। कमेटी ने विजिट किया है। कमेटी इसकी जांच कर रही है। कमेटी की जो भी रिपोर्ट होगी हम सदन के सामने रख देंगे।

उपसभापति :प्रोविडेंट फंड के बारे में बता दीजिए।

श्री साहिब सिंह वर्मा :आपने बोनस की बात कहीं है। हम बोनस बढाएंगे, उसकी सीलिंग बढाएंगे। प्रधान मंत्री जी ने कहा है मैं उसे देख लूंगा। बातचीत कर लूंगा। क्या तय हुआ था यह भी देख लेंगे। मैंने स्वंय कहा हैं कि बोनस की सीलिंग बढ़े। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं। इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, हम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ क्या तय हुआ हैं, उसे भी देख लेंगे। आपने कहा कि इसमें सैंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ही तय करना है, तो मैं बता दुं कि यह एक सुप्रीम बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री या दूसरे सर्कुलर क्यों भेजते हैं, क्यों कहते हैं कि रेट ऑफ इंट्रस्ट को कम कीजिए।यह इसलिए कहा जाता है ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लाइज हैं, उनका और इनका पी.एफ. रेट यूनिफार्म हो जाए। इसलिए वे कहते हैं। हमने बताया है कि यह हमारा पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं है। यह वर्कर का पैसा है। हम तो इसके कस्टोडियन हैं। हम तो इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो रेट ऑफ इंट्रस्ट पर जो रिटर्न मिल रहा हैं, रेट ऑफ इंट्रस्ट की फार्म में, उनके एकाउण्ट को हम ऐड कर रहे हैं। जब हमने यह बताया तो उन्होंने कहा कि प्रश्न नहीं है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now it is over. *...(Interruptions)...*

श्री जीवन राय :मैडम, एक बात ठीक करवा दीजिए कि कानून बनाने से पहले ये ट्रेड यूनियन्स से बात करेंगे या नहीं? Whether they will discuss the matter in the Standing Labour Committee? *...{Interruptions)...*

उपसभापति : वे कर रहे हैं.The discussion on the Calling Attention is over...*{Interruptbns)...*^Now, we take up the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess (Amendment) Bill, 2003.

THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) CESS (AMENDMENT) BILL, 2003

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T.R. BAALU): Madam, while moving the motion for further amending the Water (Prevention